आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

मार्च 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹



संघीय बजट 2023-24

अमृत 'काल' में आमजन

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 32 अंक 09 मार्च 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
भौतिकवादी आधुनिकता का हमला और नई पीढ़ी का प्रशिक्षण
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
जाति सुधार आंदोलनों की सबसे बड़ी बाधा
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

सौंदर्य बोध 11
पूर्ण जीवन के तीन पक्ष
मार्टिन लूथर किंग

मुख्य स्तंभ 15
संघीय बजट 2023-24 :
अमृत 'काल' में आमजन
सुफ़ियान अहमद

विवेचना 19
अल्पसंख्यकों की चिंता बजट में नहीं
संपादन प्रभाग

अभिमत 21
बुनियादी समस्याओं की अनदेखी
प्रभात पटनायक (प्रसिद्ध अर्थशास्त्री)

समाधान 25
वर्तमान आर्थिक चुनौतियां और क़ुरआन
डॉ॰ फ़रहत हुसैन

कविता 28
जला रहा हूं दीये
डॉ॰ रामनिवास 'मानव'

समसामयिक 29
जटिल राह का ध्रुव तारा
डॉ॰ प्रदीप कुमार

परिदृश्य 33
विषमता का विष
जितेंद्र गौतम

विशेष 37
रोज़ा क्या और क्यों?
संपादन प्रभाग

कहानी 40
घमंड का पुतला
मुंशी प्रेमचंद

सेहत 44
क़ब्ज़ : सेहत का दुश्मन
संपादन प्रभाग

करियर 46
मशरूम : खेती से करियर को दें नई दिशा
संपादन प्रभाग

आख़िरी पन्ना 48
खोई हुई मीरास की तलाश
मौलाना वहीदुद्दीन ख़ां

मूल प्रश्न

भौतिकवादी आधुनिकता का हमला और नई पीढ़ी का प्रशिक्षण



शिब्ली अरसलान

नई पीढ़ी का बौद्धिक, वैचारिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण (तर्बियत) आज का सबसे जटिल और पेचीदा प्रश्न है। माता-पिता द्वारा स्कूल और ट्यूशन का प्रबंधन और शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम का शिक्षण बेहद सरल और आसान काम है। आराम-पसंद और सुविधा-भोगी इस युग में, माता-पिता और शिक्षकों द्वारा तर्बियत के विषय पर lip service बहुत आम है, लेकिन नई पीढ़ी के प्रशिक्षण का वास्तविक दर्द जो रचनात्मकता और निरंतरता से सुसज्जित हो यदा-कदा ही दिखाई देता है।

नई पीढ़ी की तर्बियत एक कठिन और जटिल प्रश्न इसलिए है क्योंकि भौतिकवादी आधुनिकता (Materialistic Modernism) की कंडीशनिंग बहुत सख़्त हो गई है। जब भौतिकवादी आधुनिकता का प्रभुत्व नहीं रहा होगा, तो एकतरफा कंडीशनिंग किसी हद तक आसान रही होगी। भौतिकवादी आधुनिकता ने फिल्म, फैशन, फूड और फेस्टिवल के उपकरणों द्वारा देह और पेट के सुख (pleasure) का ऐसा जाल बिछाया है कि हमारे पास मुक़ाबला करने के लिए कोई उचित हथियार नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि भौतिकवादी आधुनिकता से निकलने वाली तेज़ पैराबैंगनी किरणों (Ultraviolet rays) से हमारी आंखें पथरा गई हैं।

भौतिकवादी आधुनिकता (Materialistic Modernism) ने किस क्रूरता से हमारे बच्चों के बचपन को कुचला है, अभिभावकों को इसका अंदाज़ा नहीं है। यह सोचनीय है कि अब बचपन बचा कहां है? गलियां सुनसान हैं और मैदान जितने भी बचे हैं, वे वीरान हैं। बच्चों को अपने होमवर्क के बाद जो समय मिल रहा है, उसे वे सोशल साइट्स व गेम्स खेलने में गंवा रहे हैं। नाना प्रकार के मोबाइल गेम्स के कारण बच्चों का जीवन तबाह हो रहा है। आख़िर ऐसी नौबत क्यों आई? इसका कारण धनोपार्जन की अंधी दौड़ में अभिभावकों का अपने बच्चों व परिवार से कट जाना है, तो दूसरी ओर अभिभावकों की बच्चों को शीघ्र बड़ा बनाने की चाह ने



कहीं न कहीं उनके बचपन को छीनने का प्रयास किया है। आज निर्भीक बिंदास बचपन को भौतिकवादी आधुनिकता की नज़र लग गई है।

इस भौतिवादी आधुनिकता ने पहला नाख़ून शिक्षा और शिक्षण संस्थानों पर मारा। शिक्षा को धनार्जन का साधन बना देना, सबसे बड़ी त्रासद गाथा है। अपने बच्चे को कुशल मज़दूर बनाने की चाहत आज हर माता-पिता का सपना है। करियर के इस अनुचित दबाव ने बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, स्वतंत्र व्यक्तित्व, मौलिकता और निर्णय क्षमता का दीया बुझा दिया है। समस्याओं से लड़ने की ताक़त को कमज़ोर कर दिया और पुरुषार्थ के प्रयत्नों को पंगु बना दिया है।

ज्ञान, किताब और शिक्षक से संबंध का आधार अब धन है। धर्म से विमुख वर्ग ने इसका खुलकर स्वागत किया तो दिखावटी और प्रतीकात्मक धार्मिकता के अग्रदूतों ने भी इसे 'दोनों जहां की सफलता' के लिए एक अप्रत्याशित उपहार मान लिया। इसलिए ज्ञान की महानता का भाव, शिक्षा के प्रति ईमानदारी व निष्ठा, शिष्टता और शिक्षक के लिए सम्मान, अनुशासन एवं सिद्धांतवाद सब गुज़रे समय की बातें कहलाईं।

भौतिकवादी आधुनिकता का दूसरा आक्रमण नई पीढ़ी की जीवन शैली और उसकी सांस्कृतिक चेतना पर हुआ। जब ज्ञान और शिक्षा का उद्देश्य ईश्वर की पहचान, जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों का रहस्योद्घाटन, अच्छी परम्पराओं का विकास और नैतिकता का प्रशिक्षण नहीं रहा तो फिर आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाने के नाम पर हर्ष और वास्तविक आनंदरहित व्यर्थ जीवन को फैशन की नक़्क़ाली और ग़ुलामी में उलझा दिया गया, ऐसा मनोहर जाल बिछाया गया कि क्षणिक सुख (देह और पेट का सुख) के लिए नई पीढ़ी कुछ भी करने को तैयार है।

भौतिकवादी आधुनिकता ने इन क्षणिक सुखों की रक्षा के लिए नई पीढ़ी को 'मानसिक सुख' नामक एक और नए सुख से परिचित और उन्मत्त कर दिया है। मानसिक सुख के नए-नए तरीक़े और



उपकरण ईजाद कर लिए गए हैं। साइबर अय्याशी के इस युग में नई पीढ़ी की मानसिक तृप्ति और मनोवैज्ञानिक आनंद के लिए मारे-मारे फिरने की रूदाद बड़ी भयानक और पीड़ादायी है।

गलियों में धमा-चौकड़ी करने वाला और घर-आंगन में कहानियां और कविताएं पढ़ने वाला किशोर जीवन और नव-यौवन आज इंटरनेट के मकड़जाल में फंसता जा रहा है। शिक्षा से लेकर नौकरी और अपनों से जुड़े रहने से लेकर मनोरंजन तक इंटरनेट के हवाले हो गया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि आभासी दुनिया के चलते हक़ीक़त की दुनिया डगमगाने लगी है। इस आभासी दुनिया के फेर में पड़ी नई पीढ़ी ये भूल चुकी है कि वास्तविक संसार कितना सुंदर है। वेब की दुनिया के मकड़जाल में फंसे ये नवयुवक शायद इस सुंदरता को देखना भी नहीं चाहते।

भौतिकवादी आधुनिकता में स्वाहा होती मासूमियत को बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं।

1) जीवन को बड़े उद्देश्यों और आदर्शों से युक्त करने वाली शिक्षा।
2) अभिभावकों का वैचारिक बौद्धिक प्रशिक्षण ताकि वे बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकें।
3) सामाजिक-राजनैतिक सतह पर बड़े फ़ैसले और ढांचागत परिवर्तन।
4) ऐसे शिक्षकों और प्रशिक्षकों की तैयारी जो गंभीरता और रचनात्मकता से सुसज्जित हों। ■■

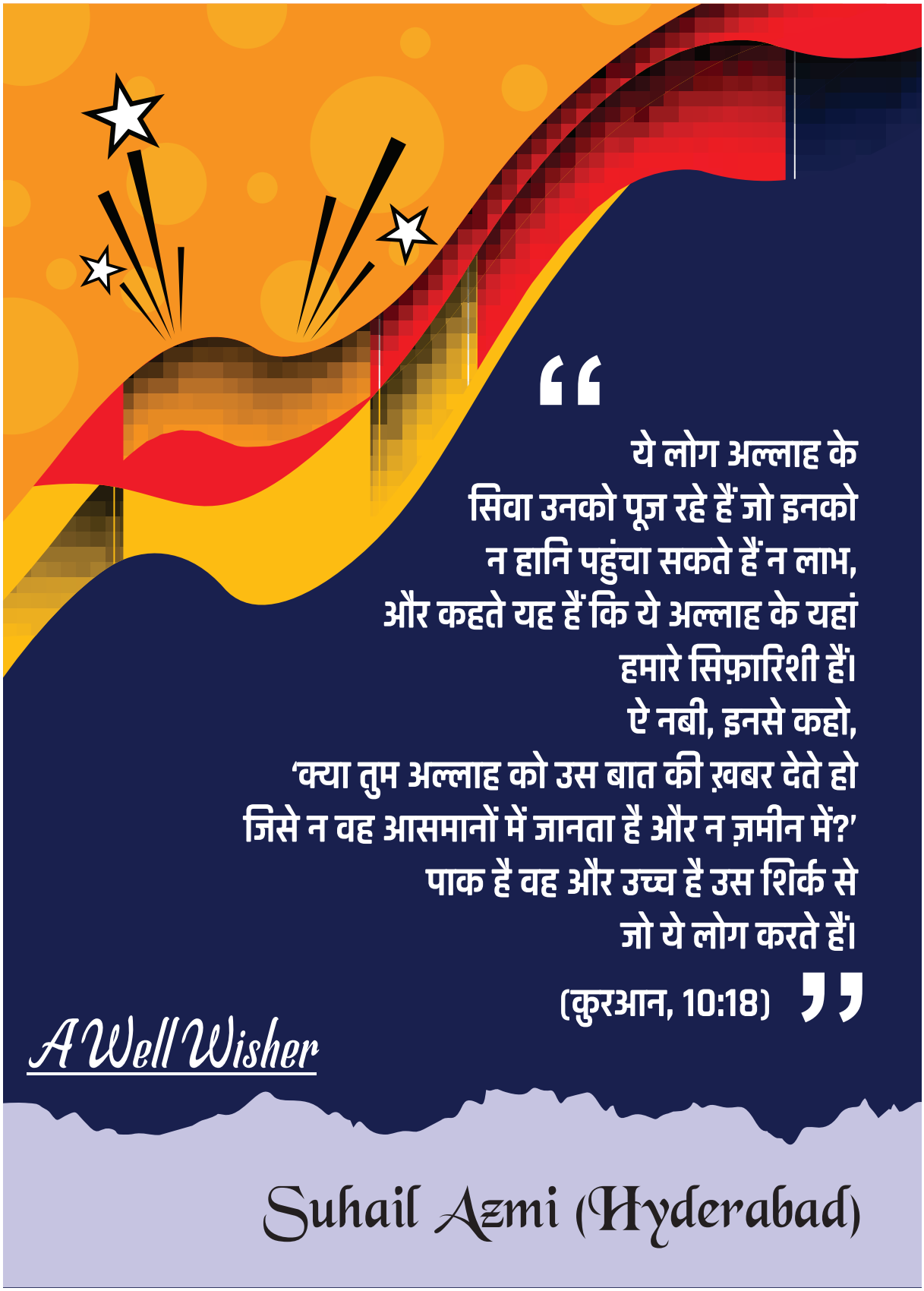
ये लोग अल्लाह के
सिवा उनको पूज रहे हैं जो इनको
न हानि पहुंचा सकते हैं न लाभ,
और कहते यह हैं कि ये अल्लाह के यहां
हमारे सिफ़ारिशी हैं।
ऐ नबी, इनसे कहो,
'क्या तुम अल्लाह को उस बात की ख़बर देते हो
जिसे न वह आसमानों में जानता है और न ज़मीन में?'
पाक है वह और उच्च है उस शिर्क से
जो ये लोग करते हैं।
(कुरआन, 10:18)
A Well Wisher
Suhail Azmi (Hyderabad)



जाति सुधार आंदोलनों की सबसे बड़ी बाधा

चिंतन



सैयद
सआदतुल्लाह
हुसैनी

जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कई सुधारकों ने कोशिशें कीं। 12वीं सदी के दक्षिणी भारत के समाज सुधारक बिस्वेश्वरैया, 15वीं सदी में गुरुनानक, 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले, बीसवीं सदी में गांधी जी और पेरियार आदि ने जाति व्यवस्था और छुआछूत के ख़िलाफ़ मज़बूत आन्दोलन चलाए, लेकिन ये आन्दोलन पूरे देश को प्रभावित करने में कामयाब न हो सके। उनमें से अक्सर बाद में एक सम्प्रदाय बनकर आबादी के छोटे से हिस्से तक सीमित होकर रह गए और कुछ हिन्दू समाज का हिस्सा बन गए और ख़ुद भी जाति प्रथा का शिकार हो गए। इसकी वजह जाति प्रथा की ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वह विशेषता है कि यह मज़बूत विरोधियों को सुविधाएं देकर अपने अंदर समाहित (Assimilate) कर लेता है।

अतीत के सभी सुधार आन्दोलन इस विलय का शिकार होकर निष्प्रभावी हो गए। एक अटूट विश्वास ही विलय की इन कोशिशों का विरोध कर सकता है। इसके बिना उच्च सिद्धांत एक दो नस्लों के बाद दम तोड़ने लगते हैं और जातिवाद की ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आसानी से समा जाते हैं।

हमारे ज़माने में दलितों के अधिकारों की लड़ाई के हवाले से सबसे बड़ा नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। अम्बेडकर के निकट जातिवाद का अंत केवल राजनीतिक

सुधारों से ही संभव नहीं था। वे एक मज़बूत सामाजिक आन्दोलन को ज़रूरी समझते थे। अम्बेडकर ने बड़े साहस के साथ यह बात भी लिखी थी कि सामाजिक बदलाव के बिना देश की आज़ादी या स्वराज दलितों के लिए लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक सिद्ध होगा।

आज़ादी के बाद सामाजिक सुधार के आन्दोलन बहुत कमज़ोर हो गए या कमज़ोर कर दिए गए। आरक्षण ने इन वर्गों को ऊंचा उठाने में यक़ीनन मदद की है। अगर आरक्षण के साथ अम्बेडकर के विज़न के मुताबिक़ सामाजिक सुधार का मज़बूत आन्दोलन भी जारी रहता तो शायद कुछ दशकों में इस समस्या पर क़ाबू पाया जा सकता था, लेकिन सामाजिक आन्दोलन के कमज़ोर हो जाने के नतीजे में आरक्षण की नीति ने कुछ घरानों को फ़ायदे ज़रूर पहुंचाए, लेकिन पूर्ण रूप से समाज से असमानता को समाप्त करने में कोई भूमिका नहीं निभा सके। इसने ख़ुद दलितों में एक समृद्ध वर्ग पैदा कर दिया जो आम दलितों से विशिष्ट है और दलित समस्याओं से बेपरवाह है बल्कि कुछ दलित शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि सम्पन्न दलित वर्ग और दलित अधिकारी आम दलितों की समस्याओं के प्रति अन्य लोगों के मुक़ाबले में ज़्यादा उदासीन होते हैं। मानो आरक्षण के परिणामस्वरूप दलितों के कुछ वर्गों को कुछ सुविधाएं अवश्य मिल गईं, लेकिन दलितों को समानता का अधिकार नहीं मिल सका।

दूसरी तरफ़ राजनीतिक आन्दोलनों ने जाति की अवधारणा को ख़त्म करने के बजाय उसे और मज़बूत किया। एक मशहूर दलित विचारक ने इस पर टिप्पणी करते हुए बहुत सही लिखा है कि जातिवाद अपने मूल में सामाजिक वर्गीकरण की व्यवस्था है। यह समानता की अवधारणा के बिल्कुल उलट है। जाति की बुनियाद पर जहां भी और जिस मक़सद से भी आन्दोलन खड़ा किया जाए वो असमानता को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। दलित राजनीति के तहत चलाए गए मूल निवासी सामाजिक आन्दोलनों ने जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने के बजाय उसे और मज़बूत किया है।

चूंकि देश में दलितों को आरक्षण प्राप्त है और उनके वोट को नज़रअंदाज़ करना आसान नहीं है, इसलिए बज़ाहिर आज़ादी के बाद दलितों के कल्याण के लिए बहुत से काम किए गए, लेकिन इन कामों का विस्तृत अवलोकन इस नतीजे पर पहुंचाता है कि ये दलित वर्गों को ऊंचा उठाने के गंभीर प्रयास कम और उनके वोट हासिल करने के लिए दिखावटी कोशिशें ज़्यादा थीं। इन कोशिशों की रूप-रेखा ही इस तरह थी कि सामाजिक ढांचे में कोई बदलाव न हो अलबत्ता पिछड़ी जातियों की तुलना में प्रभावशाली वर्गों को भौतिक लाभ का एहसास हो ताकि वो पूरे समाज का वोट दिला सकें।

यदि वास्तव में समानता की कोशिश हो तो कई मोर्चों पर गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन बहुत कम सरकारें इन गंभीर कोशिशों की ओर ध्यान देती हैं। आमतौर पर दलितों की समस्याओं को केवल शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा सरकारी योजनाओं में कोटे तक ही सीमित रखा गया और सामाजिक सुधार के महत्वपूर्ण पहलुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिनके बिना आरक्षण या कोटे से असमानता का अंत संभव नहीं था। एक विश्लेषक ने बहुत सही निष्कर्ष निकाला है-"आरक्षण को बुनियाद बनाकर जातिवाद की जो सियासत या बहस चली, उसने अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक व आर्थिक विकास में जाति को लेकर मूल चर्चा को गुम कर दिया।"

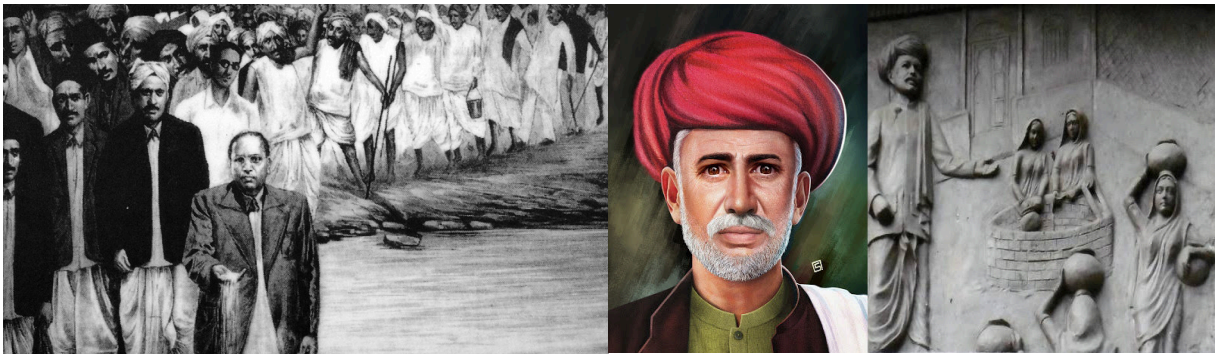

सरकार के रवैये का एक महत्वपूर्ण उदाहरण वैश्विक स्तर पर जातिवाद के भेदभाव को नस्लीय भेदभाव मानने से लगातार इन्कार का रवैया है। नस्ल के आधार पर भेदभाव की समाप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता (International Convention on Elimination of all Forms of Racial Discrimination-ICERD) है। यह समझौता वर्ष 1969 में लागू हुआ और हमारा देश भी इस पर हस्ताक्षर कर चुका है। इस समझौते के अनुसार, हर दो वर्ष में नस्लीय भेदभाव की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को पेश करना ज़रूरी है। प्रभावित

> **अत्याचार का एक और प्रतीक वह शोषण है जो दलितों, आदिवासियों और उनके बीच से उठने वाली मज़बूत आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा रहा है। यदि मुसलमानों के लिए आतंकवादी एक गाली है तो आदिवासियों और दलितों के लिए नक्सलवादी गाली है।**

वर्ग सीधे संयुक्त राष्ट्र की कमेटी से नस्ली भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। एक विशेष कमेटी CERD इन शिकायतों की सुनवाई करती है, लेकिन हमारा देश गत 20 वर्षों से अपने रसूख़ का इस्तेमाल यह विश्वास दिलाने के लिए कर रहा है कि जातिवाद का भेदभाव, नस्लीय भेदभाव नहीं है और यह कि उक्त वैश्विक समझौता भारत की जाति व्यवस्था पर लागू नहीं होता। इस समझौते को विश्लेषक बड़ा महत्व देते हैं और समझते हैं कि इसके नतीजे में देश की नौकरशाही और पूरी व्यवस्था को विश्व बिरादरी के सामने जवाबदेह बनाकर जाति व्यवस्था के अंत के सिलसिले में मज़बूत दबाव पैदा हो सकता है, लेकिन सरकारों का इससे पल्ला झाड़ना दुखद है। इसकी वजह क्या है?

कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के सिलसिले में भारत किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव को स्वीकार करना नहीं चाहता। कुछ के अनुसार मूल कारण दो हैं, एक यह कि इस अंतरराष्ट्रीय समझौते का तकाज़ा यह होगा कि नस्लीय भेदभाव के शिकार लोगों को ऊपर उठाने के लिए किए जा रहे कार्यों के सिलसिले में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए जबकि हमारे देश में दलित अगर ईसाइयत या इस्लाम क़ुबूल करते हैं तो उनके विशेषाधिकार (यानी आरक्षण) ख़त्म हो जाते हैं और दूसरी वजह यह है कि इस समझौते को जातिवाद से जोड़ने से, आरक्षण जैसे उपायों का विस्तार अन्य क्षेत्रों तक भी होगा, जिसके लिए हमारी सरकारें तैयार नहीं हैं।

कारण जो भी हो, लेकिन इस विवाद से साफ़ मालूम होता है कि सरकारें अब पिछड़े वर्गों के विकास के लिए ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को भी धन और शक्ति के केंद्रीकरण की कोशिशों के तौर पर देखा जा सकता है। पिछड़े वर्गों को निष्ठुर प्रतिस्पर्धा या सामाजिक विकास के हवाले कर देने के बाद आरक्षण का कोई महत्व शेष नहीं रह जाता। अम्बेडकर ने पिछड़ी जातियों के विकास की जो रूप-रेखा प्रस्तुत की थी, उसमें सार्वजनिक स्वामित्व और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की बहुत अहम भूमिका थी। उन्होंने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा था कि वे ब्राह्मणों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, न उनके हितों के ख़िलाफ़ हैं बल्कि उनकी अस्ल लड़ाई शक्ति और संसाधनों पर किसी विशेष वर्ग के वर्चस्व के ख़िलाफ़ है। जब तक इस वर्चस्व का आधार तैयार करने वाली नीतियां ख़त्म नहीं होंगी, मात्र संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों से पिछड़ी जातियों को समानता का अधिकार नहीं मिल सकता।

अब जो आर्थिक नीतियां अपनाई जा रही हैं वे इस लक्ष्य को बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जाने वाली हैं। ये नीतियां शक्ति के सभी संसाधनों को सम्पन्न वर्गों पर ज़्यादा से ज़्यादा केन्द्रित होती जा रही हैं। परिणामस्वरूप पिछड़े वर्गों का शोषण बढ़ता जा रहा है। अत्याचार का एक और प्रतीक वह शोषण है जो दलितों, आदिवासियों और उनके बीच से उठने वाली मज़बूत आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा रहा है। यदि मुसलमानों के लिए आतंकवादी एक गाली है तो आदिवासियों और दलितों के लिए नक्सलवादी गाली है। अब अर्बन नक्सलवादी के नाम से उच्च शिक्षा प्राप्त दलित बुद्धिजीवियों को प्रताड़ित करना भी आम बात हो गई है। ■■



Shiraz
Golden Restaurant

135, Park Street, Kolkata - 700 017
Phone : 2286-6806, 2286-6795, 2286-7272, 2286-7273
Mb : 8101600600



Outlet	
Ajay Nagar	033 2416 4591
Airport	033 3192 3131
Salt Lake - I	033 2334 9263
Salt Lake - II	84438 08899
Phool Bagan	033 2353 9466

Awadhi cuisine is reminiscent of its illustrious gourmet nawab like Asaf-ud-Daulah and Wajid Ali Shah. The unrivalled repertory of Awadhi delicacles, that we savor today had the royal imprimatur. Awadhi cuisine has traveled far and wide. But it is believed that only a handful of chefs with royal khansama lineage know the secret ingredients, Spices like zafran, cinnamon and cardamom, dried fruits and herbs are used extensively.a

Awadhis become royal delicacies fit for the sovereign at banquets and hunts, And they embellished the "Dum Pukht" style of cooking with aromatic ingredients, dried fruits, and aphrodisiacs that delighted the insatiable Nawab no-end and engaged the services of his vast harem fulltime. Dum Pukht is an elatorate method of cooking in big cauldrons filled with rice, mutton, vegetable and spices, and then sealed with dough and cooked over a mild flame.

DESSERT & DINNER

Tea	15.00
Shahi Tukra	60.00
Firni	50.00
Soft Drink	25.00
Mineral Water	25.00

Ice Cream also Available





OUR SPECIALITY

Murgh Mussallam	600.00
Khuska	130.00
Khassi Mussallam	9.000.00
Khassi Tangri Kebab	3.000.00



पूर्ण जीवन के तीन पक्ष

सौंदर्य बोध



मार्टिन लूथर किंग

पूर्ण जीवन के तीन पक्ष होते हैं-लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जीवन की लंबाई से अभिप्राय है मनुष्य अपने ही स्वार्थ को ध्यान में रखकर अपना ही सोचता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। जीवन की चौड़ाई का मतलब है मनुष्य दूसरे के हित का ध्यान रखता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहता है और ऊंचाई से मतलब है : मनुष्य अपनी आत्मा को ऊपर उठाता है और परमात्मा से साक्षात्कार करने की कोशिश करता है। पहले पक्ष में ऐसे स्वार्थ की भावना मुख्य है जो स्वस्थ और तर्कसंगत हो। एक विद्वान का कहना है कि दूसरों से प्रेम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही अपनी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए तथा अपनी ज़िम्मेदारियां निभानी चाहिए। साथ ही उसे अपने जीवन का उद्देश्य भी खोज निकालना चाहिए और फिर उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब उसके हृदय में प्रेरणा व कार्य की शक्ति उत्पन्न हो और यह उसे परमात्मा की ओर से ही प्राप्त होती है।

महान विद्वान इमर्सन का कहना है- ‘‘यदि मनुष्य एक अच्छी पुस्तक लिख सकता है या एक अच्छा उपदेश दे सकता है या चूहे पकड़ने का एक अच्छा पिंजरा ही बना सकता है, तो लोग ख़ुद ही आकर उसका दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देंगे।’’

परंतु कुछ लोग अपनी इस सीमा से आगे बिल्कुल नहीं आते। भले ही वह चतुर और बुद्धिमान हो, परंतु वे अपने स्वार्थ की ज़ंजीर से जकड़े होते हैं और उनकी महत्वाकांक्षा का दायरा अपने आप तक ही सीमित होता है। यदि हमें

अपने जीवन को पूर्ण बनाना है तो उसमें केवल जीवन की लंबाई का पक्ष ही नहीं वरन चौड़ाई पक्ष भी सम्मिलित करना होगा, ताकि मनुष्य मात्र का कल्याण हो सके। कोई भी व्यक्ति अपना भला तब तक नहीं कर सकता जब तक वह स्वार्थ से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव जगत का हित नहीं सोचता। चौड़ाई के बिना लंबाई का कोई अस्तित्व नहीं, उसका अस्तित्व अपने तक ही सीमित रह जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता। जिस प्रकार सरोवर का पानी बहता हुआ यदि आगे समुद्र में नहीं मिलता तो अशुद्ध बन जाता है, उसी तरह न बहने वाले स्थिर जीवन में जीवन की स्फूर्ति और ताज़गी नहीं रहती। उपयोग तथा रचनात्मक कार्य के लिए हमें अपने क्षेत्र का दायरा विस्तृत करना होगा। उसमें बहुत-सी दूसरी बातें भी सम्मिलित करनी होंगी।

ईश्वर ने यह सृष्टि इस प्रकार की बनाई है कि कोई भी कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक मनुष्य जीवन के चौड़ाई पक्ष को ग्रहण नहीं कर लेता। 'तेरे बिना मैं अपने में पूर्णता नहीं ला सकता।' 'अहम' अन्य के बिना 'अहम' नहीं बन सकता। समाज का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हम सही मायने में तब तक 'मनुष्य' कहलाने के अधिकारी नहीं बनते जब तक अन्य मनुष्यों से अपना पारस्परिक संबंध स्थापित न कर लें। आज दुनिया में जो बहुत-सी दुखद घटनाएं घटती जा रही हैं उनका मुख्य कारण यही है कि मनुष्य अपने जीवन में चौड़ाई पक्ष को न ला सका और उसका समन्वय लंबाई पक्ष से न कर सका। सारांश यही है कि सब मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक ही उद्देश्य की पूर्ति में जुटे हैं। अनिवार्य रूप से हम अपने भाइयों के संरक्षक हैं, सहायक हैं

सैद्धांतिक रूप में अस्वीकार करने के बावजूद हम आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं जिसे हम भौतिकवाद के जड़ संकेतों के द्वारा नहीं समझा सकते। भौतिक वस्तुओं में अमिट श्रद्धा रखने के बावजूद कोई हमें उस निर्गुण निराकार के अस्तित्व की याद दिला देता है। रात को जब हम सितारों की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो वे उस व्यापक अनंत के जगमगाते हुए दीपक हों, मानो हमारा यह स्थूल शरीर केवल एक माया है-स्वप्न है। हमारे तमाम विकसित तकनीकी और वैज्ञानिक साधन भी ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म अणू को उससे अलग नहीं कर सकते जो इस अनंत शून्य में व्याप्त हो रहा है।

और मानवता का भव्य भवन ईसी एक सच्चाई पर खड़ा है।

पूर्ण जीवन का एक और पक्ष शेष रह जाता है। वह है ऊंचाई पक्ष। इसके द्वारा हम मानवता से बहुत ऊंचा उठकर एक अज्ञात मंज़िल की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने इस स्थूल शरीर से बहुत ऊंचा उठना होगा और उस अनंत आत्मा की ओर बढ़ना होगा जो सत्य का मूल कारण तथा स्रोत है, जब हम लंबाई और चौड़ाई के साथ-साथ ऊंचाई पक्ष को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा जीवन पूर्ण बन जाता है। जिस प्रकार बहुत से लोग लंबाई पक्ष की सीमा से आगे नहीं बढ़ते, उसी प्रकार बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लंबाई और चौड़ाई पक्ष की सीमा से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे व्यक्ति अपने निजत्व का उच्चतम विकास भले ही कर लें, मानवता के पुजारी भले ही बन जाए, परंतु फिर भी वे अपूर्ण मानव ही माने जाएंगे। वे अपना संबंध इस सृष्टि से इतना अधिक स्थापित कर लेते हैं कि मानवता को ही ईश्वर मान बैठते हैं। आधुनिक मानव तीसरे पक्ष का त्याग क्यों कर बैठा है? कुछ लोगों के मन में सच्चे बौद्धिक संदेह हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वैज्ञानिक और तार्किक परिणामों का समन्वय धार्मिक सिद्धांतों और अति प्राचीन ईश्वरीय भावना से नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है।

सैद्धांतिक रूप से वे नास्तिक नहीं हैं। उन्हें 'व्यावहारिक नास्तिक' कहा जा सकता है। वे अपने मुंह से ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। वे इस प्रकार जीवन बिताते हैं मानो उनके लिए ईश्वर है ही नहीं। वे दुनियादारी के चक्कर में इतने बुरे फंस चुके हैं कि अनजाने में भौतिकवाद के ज्वार में बह गए हैं और उससे मुक्त नहीं हो पाते वे धर्मनिरपेक्षता

के उथले पानी में ही गोता लगा रहे हैं।

मनुष्य की सृष्टि के स्थान पर ईश्वर की सृष्टि की स्थापना करना और भी टेढ़ी खीर है। इस प्रयत्न में असंतोष की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है। रेनहोल्ड निकोबरा का कथन है-''सन 1914 से एक के बाद एक दुखांत घटनाएं इस प्रकार घटती चली आ रही हैं कि मानो आधुनिक मानव के भ्रम का निवारण न करने का इतिहास ने बीड़ा उठा लिया हो। हम आधुनिक इतिहास के महासागर में अपनी जीवन नौका दिशा-निर्देशक यंत्र के बिना ही खेते चले जा रहे हैं। न हमारा



कोई पथ-प्रदर्शक है, न हमें दिशा का ज्ञान है। हमें अपने संदेहों पर संदेह होता है और हम सोचने लगते हैं कि हो न हो इन सब के पीछे अज्ञात आध्यात्मिक शक्ति काम कर रही है जिसमें सत्य का सार तत्व छिपा पड़ा है।

सैद्धांतिक रूप में अस्वीकार करने के बावजूद हम आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं जिसे हम भौतिकवाद के जड़ संकेतों के द्वारा नहीं समझा सकते। भौतिक वस्तुओं में अमिट श्रद्धा रखने के बावजूद कोई हमें उस निर्गुण निराकार के अस्तित्व की याद दिला देता है। रात को जब हम सितारों की ओर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो वे उस व्यापक अनंत के जगमगाते हुए दीपक हों, मानो हमारा यह स्थूल शरीर केवल एक माया है-स्वप्न है। हमारे तमाम विकसित तकनीकी और वैज्ञानिक साधन भी ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म अणू को उससे अलग नहीं कर सकते जो इस अनंत शून्य में व्याप्त हो रहा है।

जीवन की चुनौती और कठिनाइयों का मुक़ाबला करने के लिए हमें उसकी (ईश्वर की) आवश्यकता है। ईश्वर के बिना हमारे सब प्रयत्न निष्फल होंगे। हमारे ज्ञान का सूर्योदय अंधकार पूर्व रात्रि में होगा। ईश्वर के बिना हमारा जीवन नाटक अर्थहीन होगा। ''तूने हमें अपने लिए बनाया है हमारे हृदय तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक हम तेरी शरण में नहीं पहुंच जाते'' ये संत अगस्तीन के शब्द हैं।

नवयुवकों, तुम्हारी योजनाएं बहुत छोटी हैं। वे अधिक से अधिक 75 या 100 वर्ष तक चल सकती हैं। तुम्हारी योजनाएं इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें ईश्वर और उसकी अनंत व्यापकता का समावेश हो सके। हमारी योजना आकार के लिहाज़ से बड़ी आवश्यक है, परंतु विशेषता के लिहाज़ से बहुत छोटी हैं। ये योजनाएं समतल या समानांतर कहीं जा सकती हैं, परंतु ऊपर अनंत की ओर बढ़ती हुई नहीं। आख़िर इन सब का सार क्या है?

अपने आप से प्रेम करो, यदि आपका स्वार्थ शुद्ध व स्वस्थ है-यह जीवन का लंबाई पक्ष है। अपने पड़ोसियों से उसी प्रकार प्रेम करो जिस प्रकार स्वयं से करते हो। यह जीवन का चौड़ाई पक्ष है। सच्चे हृदय, आत्मा व बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम करो-यह जीवन का ऊंचाई पक्ष है। इन तीनों पक्षों के विकास के द्वारा ही मानव जीवन पूर्ण बन सकता है।

अपने आप से प्रेम करो, यदि आपका स्वार्थ शुद्ध व स्वस्थ है-यह जीवन का लंबाई पक्ष है। अपने पड़ोसियों से उसी प्रकार प्रेम करो जिस प्रकार स्वयं से करते हो। यह जीवन का चौड़ाई पक्ष है। सच्चे हृदय, आत्मा व बुद्धि से अपने प्रभु से प्रेम करो-यह जीवन का ऊंचाई पक्ष है। इन तीनों पक्षों के विकास के द्वारा ही मानव जीवन पूर्ण बन सकता है।

■■

“यक़ीनन
अल्लाह की
दृष्टि में ज़मीन पर
चलने वाले प्राणियों में
सबसे बुरे वे लोग हैं जिन्होंने
सत्य को मानने से इनकार कर दिया।
फिर किसी तरह वे इसे स्वीकार करने को
तैयार नहीं हैं।”

(क़ुरआन, 8:55)

A Well Wisher

W. D. Khan
(Hyderabad)



अमृत 'काल' में आमजन

मुख्य स्तम्भ

सुफ़ियान अहमद

सरकार का दावा है कि वर्ष 2023-24 का यह संघीय बजट आज़ादी के 100 साल बाद के भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट को ज़ोरो-शोर से अमृतकाल बजट के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। सारी की सारी प्रचार मशीन सरकार के इस बजट को ही जनता के कल्याण का सबूत साबित करने में जुटी हुई है, लेकिन सच तो यह है कि इस बजट के साथ सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने और देश की आम जनता को राहत देने का मौक़ा ही गंवा दिया है।

ग़ौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 का यह संघीय बजट ऐसे समय में आया है, जब भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही धीमी पड़ गई थी। महामारी के दो वर्षों में अर्थव्यवस्था की यह दशा और बदतर हुई। इन हालात में बजट को रोज़गार पैदा करने, जनता के हाथों में क्रय शक्ति बढ़ाने और घरेलू मांग में वृद्धि को गति देने पर केंद्रित होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो एक ओर राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार के ख़र्चों को ही सिकोड़ा गया है और दूसरी ओर अमीरों को और ज़्यादा कर रियायतें दी गई हैं।

यह तब किया गया है जबकि ऑक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट ने दिखाया है कि भारत की सबसे धनी एक फ़ीसद आबादी ने पिछले दो वर्षों के दौरान पैदा हुई सारी संपदा के 40.5 फ़ीसद हिस्से को हथिया लिया है। इस तरह, यह आर्थिक संकुचनकारी बजट है, जो आर्थिक संकट को और बढ़ाने का

ही काम करने वाला है। आज जबकि बेरोज़गारी की दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, इस बजट में मनरेगा के आवंटन में 33 फ़ीसद की कटौती कर दी गई है। खाद्य सब्सिडी में 90,000 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। उर्वरक सब्सिडी में 50,000 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम सब्सिडी में 6,900 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। महामारी की विनाशलीला के बावजूद पिछले साल के स्वास्थ्य के आवंटन में से 9,255 करोड़ रुपये ख़र्च हुए बिना ही पड़े रह गए। इसी प्रकार शिक्षा के बजट के आवंटन में से 4,297 करोड़ रुपये ख़र्च हुए बिना ही पड़े रह गए। आंगनवाड़ी (आईसीडीएस) योजनाकर्मियों के बहुत ही थोड़े भुगतान में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। जेंडर बजट सरकार के कुल ख़र्च के 9 फ़ीसद के बराबर ही रखा गया है। अनुसूचित जाति का बजट सिर्फ़ 3.5 फ़ीसद ही रखा गया है, जबकि आबादी में उनका हिस्सा 16 फ़ीसद है। अनुसूचित जनजाति का बजट सिर्फ़ 2.7 फ़ीसद रखा गया है, जबकि आबादी में उनका हिस्सा 8.6 फ़ीसद है। किसानों की आय दोगुनी करने के इस सरकार के दावे के खोखलेपन का पता इससे चल जाता है कि बजट में पीएम किसान फंड का आवंटन 68,000 करोड़ से घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

सच्चाई यह है कि इस बजट में आम जनता के सामने खड़ी सभी वास्तविक व बुनियादी समस्याओं, जैसे बढ़ती बेरोज़गारी, ग़रीबी, भूखमरी और समाज के कमज़ोर तबक़ों जैसे दलितों, आदिवासियों तथा महिलाओं की बढ़ती बदहाली की कोई चिंता नज़र नहीं आती।

आज इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता कि आम आदमी की आय घटी है और देश में बेलगाम महंगाई के चलते ख़र्चे बढ़े हैं। मध्यम और छोटे उद्योग कोविड के क़हर से अभी तक नहीं उबर पाए हैं। शहरी इलाक़ों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊंची बेरोज़गारी दर लोगों के लिए संकट

अर्थव्यवस्था और उसके लिए बाज़ार की चिंता में कोई बुराई नहीं है, पर व्यापक जनहित की क़ीमत पर ऐसा करना उचित नहीं। बाज़ार और अर्थव्यवस्था अपनी जगह महावपूर्ण हैं, लेकिन निजी संकटकाल में वे व्यक्ति के मददगार साबित नहीं होते। ख़ासकर कोविड काल और उसके बाद भी



जिस तरह सरकारी क्षेत्र में रोज़गार घट रहे हैं और निजी क्षेत्र में छंटनी जारी है उसके मद्देनज़र सरकार से बचत को प्रोत्साहित करने वाले क़दम अपेक्षित थे, लेकिन इन समस्याओं के समाधान का कोई संकेत यह बजट नहीं दे पाया।

बनी हुई है। सच तो यह है कि जनता की बुनियादी समस्याओं के प्रति कोई संजीदगी इस बजट में नज़र नहीं आती। यह बजट जनता की रोज़ी-रोटी की चिंता से कोसों दूर है।

अर्थव्यवस्था और उसके लिए बाज़ार की चिंता में कोई बुराई नहीं है, पर व्यापक जनहित की क़ीमत पर ऐसा करना उचित नहीं। बाज़ार और अर्थव्यवस्था अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निजी संकटकाल में वे व्यक्ति के मददगार साबित नहीं होते। ख़ासकर कोविड काल और उसके बाद भी जिस तरह सरकारी क्षेत्र में रोज़गार घट रहे हैं और निजी क्षेत्र में छंटनी जारी है उसके मद्देनज़र सरकार से बचत को प्रोत्साहित करने वाले क़दम अपेक्षित थे, लेकिन इन समस्याओं के समाधान का कोई संकेत यह बजट नहीं दे पाया।

बजट में खेतीबाड़ी की प्रगति को लेकर बहुत से दावे किए गए हैं और भविष्य सुहाना बताया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसे अपने-अपने नज़रिये से देख रहे हैं। किसान संगठन इस बजट से ख़ुश नहीं हैं। समग्र रूप में कृषि क्षेत्र को जो संसाधन मिले हैं, वे उत्साहजनक नहीं हैं। अधिकांश योजनाओं का आवंटन घटा दिया गया है। बजट में कृषि उत्पादन में तकनीक के उपयोग तथा प्राकृतिक खेती और फ़सल विविधीकरण को प्रोत्साहन की आकर्षक दीर्घकालीन योजनाएं तो हैं पर आर्थिक व्यवहार्यता (economic viability) के संकट से गुज़र रही कृषि और जीवन-यापन के संकट से रू-ब-रू किसानों को तत्काल राहत की कोई भी राह इस बजट में दिखाई नहीं पड़ती।



किसी भी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास के पहिये को गति देने के लिए आमजन को सशक्त किया जाना बेहद ज़रूरी है। मूल प्रश्न यह है कि अमृतकाल के नाम से प्रचारित इस बजट में आमजन कहां खड़ा है?

एक ऐसे समय में जब विश्व भूख सूचकांक में भारत सबसे निचले पायदान पर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा भूख के मारे वयस्क और बच्चे भारत में ही रहते हैं, खाद्य सब्सिडी में भारी कटौती और मनरेगा के लिए आवंटन का निचोड़ा जाना क्या दर्शाता है? इस बजट में ग्रामीण विकास के आवंटन में रुपयों में भी कटौती कर दी गई है, साथ ही शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी मुद्रास्फीति का हिस्सा निकालने के बाद वास्तविक आवंटन में कटौती कर दी गई है। इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी कि तथाकथित आर्थिक विकास की ही दलील से आमजन के हित के सामाजिक ख़र्चों में कटौतियों को भी सही ठहराकर विकास का भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।

किसी भी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विकास के पहिये को गति देने के लिए आमजन को सशक्त किया जाना बेहद ज़रूरी है। मूल प्रश्न यह है कि अमृतकाल के नाम से प्रचारित इस बजट में आमजन कहां खड़ा है? ■■

अनाथ लड़कों की पुकार

VOICE OF ORPHAN BOYS

यतीमख़ाना इस्लामिया (गया)

एक नज़र में

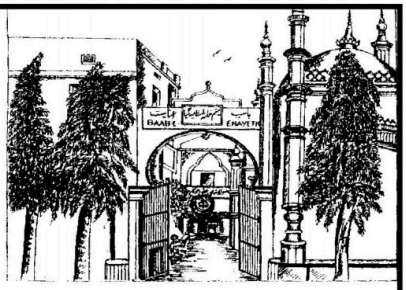

दीनी व असरी उलूम की अपने तर्ज की मशहूर अकामती (Residential) तालीमगाह

● सालह ख़िदमात ● बहुत सारे शोबाजात तालीमी मराहिल दर्जा अतफ़ाल ता मैट्रिक (Matric) शोबा हिफ़्ज़-ओ-नाजरह हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक बिहार स्कूल बोर्ड एक्ज़ामिनेशन हर साल का सद फ़ीसद 100% रिजल्ट ● फासलाती (Distance Education) I.A, B.A, M.A. और लाइब्रेरी साइंस (Blis) में 2022-23 के सेशन के लिए दाख़िला जारी (स्टडी सेन्टर यतीमख़ाना गया) मंज़ूरशुदा : मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ● कम्प्यूटर (Computer) की भी तालीम कफ़ाला स्कीम के तहत एक यतीम तालिब इल्म पर सालाना ख़र्च बीस हज़ार (Rs. 20,000) रुपये 70 यतीम तलबा जिनका सारा ख़र्च इदारा ही बर्दाश्त करता है। सालाना ख़र्च 25 लाख रुपये से ज़ायद ज़रिया-ए-आमदनी मुस्लिम अवाम के चन्दे ● आप जिस शक्ल में मुमकिन हो तआवुन फ़रमा कर अल्लाह तआला से अज्र अज़ीम हासिल करें। तआवुन की शक्लें मसलन ● ज़कात ● अतियात ● सदक़ात ● पैदावार की ज़कात ● चिर्म-ए-क़ुरबानी ● एक यतीम बच्चे का सालाना ख़र्च ● बैंक (Bank) के सूद (Interest) की वह रक़म जो मुसलमानों के लिए हराम है। ● अपने या किसी बुज़ुर्ग के नाम पर कमरा या हॉल बनवा दें वग़ैरह।

तीन बातें याद रखें : ❶ बैंक (Bank) की वह रक़म जो बैंक से सूद (Interest) के तौर पर मिलती है, जो मुसलमानों के लिए हराम है उस रक़म को ग़रीब यतीम तलबा की जहालत दूर करने और तालीम फैलाने के लिए लड़कों के दारुल यतामा फंड में दें। ❷ यहां हर साल (Audit) भी कराया जाता है। ❸ आप इदारा में पहुंचकर मसावात का मिसाली और अमली नमूना अपनी आंखों से देखें कि किस तरह यतीम और ग़ैर-यतीम बच्चे मिलकर रहा करते हैं।

नोट : इनायत आई॰टी॰आई॰ (EnayethI.T.I.) की दुमंज़िला इमारत खड़ी हो गई है और दाख़िला जुलाई 2018 ई॰ से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (Electrician Trade) से ही शुरू है। दूसरा ट्रेड फीटर (Fitter) का है। दोनों में दाख़िला 2022-2024 के लिए जारी है। यह N.C.V.T. (भारत सरकार) से मंज़ूरशुदा है। ❷ पुरफ़िज़ा मक़ाम, पुरसुकून माहौल, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम ख़र्च में बिहार बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम। ❸ यतीम तलबा जिनके वालिद का इन्तिक़ाल हो चुका है उनके क़याम-ओ-तआम के साथ-साथ एक बेटे की तरह यहां सारी सहूलत बिल्कुल मुफ़्त दी जाती है। ❹ बैरूनी तलबा के लिए अपने ख़र्च पर होस्टल का भी नज्म है। ❺ क़ौम के मुअज़्ज़िज़ हज़रात से गुज़ारिश है कि क़ौम के यतीम बच्चों को इदारा में दाख़िल कराने के लिए ज़हमत करें और तवज्जोह दिलाएं। ❻ इनायत आई॰टी॰आई॰ (I.T.I.) में यतीमख़ाना में पढ़ने वाले यतीम तलबा का दाख़िला, तालीम मअ-तआम-ओ-क़याम और रिहाइश बिल्कुल मुफ़्त है कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है।

इदारा आप से फ़राख़दिलाना तआवुन की अपील करता है।

आप ख़ुसूसी तवज्जोह दें : मुल्क में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आपका यह क़दीम इदारा माली बुहरान में मुबतला है। दुश्वारियों का सामना है। आमदनी घट कर कम हो गई है। यह साल भी मुल्क के दीनी इदारों के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। ख़ुदारा यतीमख़ाने मदारिस और मसाजिद को बन्द होने से बचाइए। इन पर रहम कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करेगा।

Foreign Donors ग़ैर-मुल्की चंदा दहंदगान

A/c Name : "The Gaya Muslim Orphanage"
Bank A/c No :
Bank Swift Code :
Bank :

Contact Us For New Bank Account Details

नोट : बाहर मुल्क के हज़रात ऊपर लिखे हुए अकाउंट नम्बर पर अपनी रक़म डॉलर, रियाल और पाउंड वग़ैरह में भी भेज सकते हैं।

चेक व ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें : "The Gaya Muslim Orphanage"

बराए राबता (ख़त, चेक व ड्राफ्ट और मनी आर्डर भेजने का पता)
Hon. Secretary, The Gaya Muslim Orphanage
Cherki-824237, Distt. Gaya (Bihar) India

Indian Donors : भारतीय चंदा दहंदगान

A/c Name : The Gaya Muslim Orphanage
Bank A/c No. : 300402010010581
Bank : Union Bank of India (Main Branch, Gaya)
IFS Code No. : UBIN0530042

नोट : हिन्दुस्तानी सूबों और बाहर मुल्क में रहने वाले हज़रात हिन्दुस्तानी बैंक का चेक व ड्राफ्ट और रक़म हिन्दुस्तानी चंदा दहंदगान वाले अकाउंट नम्बर पर भेजें।

Mobile : 09801213022, 09955655960
E-mail : gmocde@yahoo.co.in / Website : www.gmogaya.in

नोट : Documentary Film - Nazr-e-Enayeth जिसमें दोनों यतीमख़ाना (Boys & Girls) की मुख़्तसर तारीख़ है, इंटरनेट You-Tube पर देखें।

नोट : रक़म कोर बैंकिंग और ऑनलाइन Online से भेजने वाले हज़रात मोबाइल या ई-मेल E-mail या डाक से मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

एज़ाज़ी नाज़िम डॉ॰ ज़ेड॰ एच॰ ख़ान सदर डॉ॰ फ़रासत हुसैन

अल्पसंख्यकों की चिंता बजट में नहीं



विवेचना

संपादन प्रभाग

केंद्रीय बजट आर्थिक चुनौतियों का सामना करने और आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। मगर हालिया बजट को देखकर ऐसा महसूस होता है कि यह समाज के एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला है। इसमें ग़रीबों, ग्रामिणों और पिछड़े वर्गों को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। मज़दूरों के लिए बनायी गई मनरेगा योजना के लिए निश्चित किये गए कोष में कमी, खाद्य सामग्री पर सब्सिडी, खाद सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी के वित्त में कटौती के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के लिए निश्चित किए गए बजट में भी भारी कटौती की गई है। इस बजट में देश के अल्पसंख्यक समुदाय की चिंता नज़र नहीं आती।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किये गये बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की राशि में 38 फ़ीसद से अधिक की कटौती की गयी है। इस बजट में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए प्रोफ़ेशनल और टेक्निकल कोर्स के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि जो 365 करोड़ थी, को नये बजट में घटा कर मात्र 44 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसी तरह अल्पसंख्यकों के लिए प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि जो कि पिछले बजट में 1425 करोड़ रुपये थी, में 900 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी। अब यह राशि मात्र 433 करोड़ रुपये रह गयी। सरकार ने यूपीएससी की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक छात्रों के



लिए चलने वाली स्कीम बन्द कर दी।

इसी तरह अल्पसंख्यकों के स्किल डेवलपमेंट के लिए पिछले बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसको घटा कर मात्र दस लाख रुपये कर दिया गया। सरकार की इस कटौती ने मदरसों की शैक्षिक योजना को भी नहीं छोड़ा। बजट में मदरसों को मात्र 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। वर्षों से मदरसों का संबंध आतंकवाद से जोड़ने के लिए जो प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, उसपर भी इससे कहीं ज़्यादा पैसे ख़र्च किये गये होंगे। मदरसा आधुनिकीकरण, जो मदरसों के शिक्षकों से जुड़ा है, उसके तहत कार्यरत 50,000 शिक्षकों की बेरोज़गारी की आशंका अब सामने आ गई है। इस शिक्षा योजना का बजट भी 160 करोड़ रुपये से घटाकर मात्र 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए सिर्फ़ 1,689 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। हालांकि 2022 में इसी मद में 2,515 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे। यानी इस साल क़रीब 826 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी। बजट के लेखा-जोखा पर निगाह डालें तो अल्पसंख्यकों के लिए फ्री कोचिंग के लिए इस साल सरकार ने सिर्फ़ 30 करोड़ रुपये आवंटित किये। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 49 करोड़ रुपये कम आवंटित हुए। वहीं 2021 में भी फ्री कोचिंग के लिए मात्र 37 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। यह कटौती यहीं नहीं रुकती, बल्कि स्किल डेवलपमेंट का बजट जो 2021 में 268 करोड़ रुपये था, 2022 में घट कर 100 करोड़ का रह गया। 'नई मंज़िल' योजना के नाम पर सिर्फ़ 10 लाख का बजट आवंटित किया गया। ऐसा लगता है कि यह राशि राष्ट्रीय स्तर के बजट की नहीं बल्कि किसी शहर के नगर निगम की योजना की है।

इस बजट में केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली अनेक स्कीमों को बंद कर दिया है। जिसमें ख़ासतौर पर मौलाना आज़ाद फेलोशिप, पढ़े प्रदेश योजना, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 2014 के बाद से ही थोड़ा-थोड़ा करके कटौती की जा रही है। जब भाजपा सत्ता से बाहर थी उस वक़्त भी वह बजट में अल्पसंख्यकों के लिए किये जाने वाले प्रावधानों का कट्टर विरोध करती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अल्पसंख्यक समुदाय देश के विकास में और टैक्स देने में कहीं भी पीछे नहीं है, फिर उसके साथ यह भेदभाव क्यों?

देश के चौमुखी विकास के लिए यह ज़रूरी है कि बजट और अन्य कल्याण योजनाओं में अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए। ऐसे नीतिगत दोषों को सुधारना चाहिए, जिसमें अल्पसंख्यकों के श्रम और टैक्स का अधिकांश लाभ बहुसंख्यक तुष्टिकरण अथवा कार्पोरेट को जाता हो। इससे सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिलेगा। देश के विकास और उसकी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने में अल्पसंख्यकों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसको किसी भी स्थिति में नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। ■■





बुनियादी समस्याओं की अनदेखी

अभिमत



प्रभात पटनायक
(प्रसिद्ध अर्थशास्त्री)

अर्थव्यवस्था की सबसे ख़ास बात यही है कि यहां वास्तविक उपभोग ख़र्च में बढ़ोत्तरी में सुस्ती बनी हुई है। मिसाल के तौर पर 2019-2020 और 2022-23 के बीच, प्रतिव्यक्ति वास्तविक उपभोग ख़र्च में 5 फ़ीसद से भी कम बढ़ोत्तरी हुई है जो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर से भी कम है। इस तरह, महामारी में अर्थव्यवस्था जिस गड्ढ़े में जा पड़ी थी, उससे उसका थोड़ा-बहुत जो बाहर निकलना हुआ भी है, वह भी निवेश-संचालित ही रहा है, न कि उपभोग-संचालित। इस तरह की आर्थिक बहाली की दो स्वतः स्पष्ट समस्याएं हैं। पहली तो यह कि इस तरह की बहाली साफ़ तौर पर ग़ैर-वहनीय ही होगी। इस मामले में हो यह रहा होगा कि बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में ठाली पड़ी उत्पादन क्षमता ही और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके चलते बैंकों के डुबाऊ ऋण और बढ़ जाएंगे जो अंततः आर्थिक बहाली का ही रास्ता मूंद देगा। समूची वित्तीय व्यवस्था की स्थिरता के ही लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा, वह ऊपर से। दूसरी यह कि आर्थिक वृद्धि या विकास का तो बुनियादी अर्थ ही है, अवाम की जीवन दशा में बेहतरी लाना। अगर अवाम के उपभोग का स्तर ही जहां का तहां रुका रहता है, तो ऐसे विकास का मतलब ही क्या हुआ?

इसलिए 2023-24 के बजट के सामने मुख्य काम था, अर्थव्यवस्था में उपभोग के तत्व को उत्प्रेरित करना और इसके लिए सबसे पहले तो सामाजिक क्षेत्र पर ख़र्चों में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए थी। एक मिसाल लें। देश में जहां जनता का विशाल हिस्सा भूख की मार झेल रहा है, भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में अनाज के अनबिके पहाड़ लगते जाने का ज़ाहिर है कि एक ही कारण हो सकता है-स्वास्थ्य रक्षा, आवास तथा इसी तरह की अन्य न्यूनतम ज़रूरतों के अनाप-शनाप तरीक़े से बढ़ते ख़र्चे पूरे करने के बाद लोगों के हाथ में इतना पैसा ही नहीं बचता है कि पर्याप्त भोजन कर सकें, लेकिन यह बजट सामाजिक क्षेत्र पर ख़र्चों में बढ़ोत्तरी करने से ही तो परहेज़ करता है। उल्टे इस बजट में तो सामाजिक क्षेत्र पर सरकार

के ख़र्चों को घटाया ही गया है, ताकि पूंजी ख़र्च के हिस्से को और भी बढ़ाया जा सके। इसका सबसे हैरान करने वाला उदाहरण है, मनरेगा पर ख़र्चे में भारी कटौती करके उसे 60,000 करोड़ पर ले आना, जिस स्तर पर यह एक दशक पहले हुआ करता था। यह आवंटन, 2021-2022 के 1,12,000 करोड़ रुपये के ख़र्च के मुक़ाबले क़रीब आधा ही रह गया है। इसके साथ यह और जोड़ लें कि इस योजना के लिए काम का सबूत देने की जो नई व्यवस्था थोपी गई है, उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत होती है, जो ग्रामीण भारत के बड़े हिस्से में तो उपलब्ध ही नहीं है। ज़ाहिर है कि इससे तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह सरकार इस योजना को पूरी तरह से बंद ही करना चाहती है!

हालांकि सरकार 81 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलोग्राम अनाज मुफ़्त देने की अपनी 'उपलब्धि' का दुनिया भर में ढिंढोरा पीटती है, वास्तव में रुपयों में सब्सिडी में भारी गिरावट ही नज़र आती है। 2022-23 के संशोधित अनुमान के मुक़ाबले रुपयों में खाद्य सब्सिडी में 31 फ़ीसद की कमी का प्रस्ताव किया गया है। इसका सीधा-सा अर्थ यही है कि ग़रीबों के एक हिस्से से छीनकर ही दूसरे हिस्से को सस्ता अनाज दिया जाएगा। इसी प्रकार, ग्रामीण विकास के मामले में भी रुपयों में आवंटन में कटौती ही कर दी गई है। उधर शिक्षा व स्वास्थ्य के मामले में रुपयों में आवंटन में मामूली-सी बढ़ोत्तरी ज़रूर की गई है, लेकिन मुद्रास्फीति को हिसाब में लिया जाए तो, इन क्षेत्रों में भी वास्तविक मूल्य के हिसाब से कटौती ही हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस सरकार के उपभोग-विरोधी और इसलिए ग़रीब-विरोधी रुख़ को देखते हुए बजट में ऐसा किए जाने में अचरज कोई बात ही नहीं है। वास्तव में



वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पूंजी व्यय के 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर, 10 लाख करोड़ किए जाने का बहुत ढोल पीटा है। उन्होंने इसे ही इस समय भारत को अपनी जकड़ में लिए बैठी बेरोज़गारी की लानत का रामबाण उपचार बताने की कोशिश की है, लेकिन वह इस बात को अनदेखा ही कर देती हैं कि उतनी ही राशि को सामाजिक क्षेत्र पर ख़र्च किया जाता तो उससे कम से कम उतना ही रोज़गार ज़रूर पैदा होता, जितना कि पूंजी व्यय से पैदा होने जा रहा है।

2023-24 के बजट की चौंकाने वाली विशेषता यह है कि इसमें, राज्यों के लिए हस्तांतरण समेत संघ सरकार के कुल ख़र्चे में जितनी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव किया गया है, वह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से घटकर ही रहने जा रही है। संघीय सरकार के कुल ख़र्च में वृद्धि की दर, 2022-23 के (संशोधित अनुमान) के 15.3 फ़ीसद के स्तर घटकर, 14.9 फ़ीसद ही रह जाने वाली है। संघीय सरकार के कुल ख़र्चे में वृद्धि की दर में इस कटौती का अनुपात उतना ही है, जितना अनुपात राजकोषीय घाटे में प्रस्तावित कटौती का है। राजकोषीय घाटा 6.4 फ़ीसद से घटकर, 5.9 पर लाए जाने का प्रस्ताव है।

उपभोग को उत्प्रेरित करने के

जनता का विशाल हिस्सा भूख की मार झेल रहा है, भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में अनाज के अनबिके पहाड़ लगते जाने का ज़ाहिर है कि एक ही कारण हो सकता है—स्वास्थ्य रक्षा, आवास तथा इसी तरह की अन्य न्यूनतम ज़रूरतों के अनाप-शनाप तरीक़े से बढ़ते ख़र्चे पूरे करने के बाद लोगों के हाथ में इतना पैसा ही नहीं बचता कि पर्याप्त भोजन कर सकें, लेकिन यह बजट सामाजिक क्षेत्र पर ख़र्चों में बढ़ोत्तरी करने से ही तो परहेज़ करता है।

प्रति यह कंजूसी, राज्य सरकारों के लिए केंद्र से होने वाले हस्तांतरणों में गिरावट भी देखी जा सकती है। 2021-22 में राज्यों के लिए कुल 4,60,575 करोड़ का हस्तांतरण किया गया था, जिसे 2022-23 के बजट में घटाकर 3,67,204 करोड़ रुपये कर दिया और संशोधित अनुमानों के अनुसार बाद में और भी घटाकर, 3,07,204 करोड़ पर ही ले आया गया। नये बजट में इसके लिए सिर्फ़ 3,59,470 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो 2022-23 में इन हस्तांतरणों में हुई कटौती की भरपाई करना तो दूर रहा, वास्तव में पिछले साल के बजट अनुमान से भी घटकर आवंटन करता है। चूंकि सामाजिक कल्याण के कामों पर ख़र्च का बड़ा हिस्सा राज्य सरकारों से ही आता है, इन कामों पर ख़र्चों के मामले में केंद्र सरकार ख़ुद तो कंजूस बनी ही हुई है, वह आर्थिक संसाधनों के इस तरह के केंद्रीयकरण के ज़रिए, जो साफ़ तौर पर हमारी व्यवस्था के संघीय ढांचे को कमज़ोर करता है, राज्यों पर भी सामाजिक ख़र्चों के मामले में कंजूसी थोप रही है।

याद रहे कि जीडीपी के अनुपात के रूप में, केंद्र सरकार के ख़र्च में इस कटौती के संदर्भ में ही पूंजी व्यय में भारी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पूंजी व्यय के 7.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर, 10 लाख करोड़ किए जाने का बहुत ढोल पीटा है। उन्होंने इसे ही इस समय भारत को अपनी जकड़ में लिए बैठी बेरोज़गारी की लानत का रामबाण उपचार बताने की कोशिश की है, लेकिन वह इस बात को अनदेखा ही कर देती हैं कि उतनी ही राशि को सामाजिक क्षेत्र पर ख़र्च किया जाता तो उससे कम से कम उतना ही रोज़गार ज़रूर पैदा होता, जितना कि पूंजी व्यय से पैदा होने जा रहा है। यह भी याद रहे कि यह राशि अगर सामाजिक क्षेत्र पर ख़र्च की जा रही होती तो उससे सीधे मेहनतकशों को लाभ मिला होता, जिनके संबंध में ख़ुद सरकार की ओर से बजट से एक ही दिन पहले संसद में पेश किया गया आर्थिक सर्वे यह क़बूल करता है कि उनकी वास्तविक मज़दूरी में कोई बढ़ोत्तरी होना दूर, शुद्ध गिरावट ही दर्ज हुई है। यह भी याद रहे कि पूंजी व्यय का बड़ा हिस्सा, पूंजी मालों के आयात के ज़रिए, दो के बाहर ही रिस जाता है, जबकि सामाजिक क्षेत्र पर ख़र्चों में बढ़ोत्तरी के ज़रिए मेहनतकशों के उपभोग को बढ़ावा देने की सूरत में ऐसा नहीं होता है।

बेशक, इस बजट में वेतनभोगी वर्ग के कुछ हिस्सों को आय कर में राहत दी गई है। फिर भी दो अर्थों में इस बजट की अदूरदर्शिता हैरान करने वाली है। पहली बात तो यह कि ऐसे दौर में भी जब आय तथा संपदा की असमानताएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, जीडीपी के अनुपात के रूप में सरकारी राजस्व में बढ़ोत्तरी करने के प्रति यह बजट घोर उदासीनता का ही प्रदर्शन करता है। दूसरे, यह बजट सामाजिक ख़र्चों में बढ़ोत्तरी करने के ज़रिए मेहनतकश जनता के हाथों में क्रय शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत के प्रति भी घोर उदासीनता प्रदर्शित करता है और इसके बजाए पूंजी व्यय पर ही ज़ोर देता है, जिसका रोज़गार पैदा करने वाला प्रभाव, ज़्यादातर तो आयातों के ज़रिए देश से बाहर ही रिस जाने वाला है। ढांचागत क्षेत्र पर ख़र्च बढ़ाने पर ही ज़ोर पूंजीपतियों के हितों का ख़ास तौर पर ध्यान रखने के लिए भी है। ■■

(साभार, राष्ट्रीय सहारा)





"اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیجئے
جو انہیں دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھائے
اور آخرت میں جنت الفردوس کا وارث بنائے"

محمد انور
(ڈائرکٹر)

U-Dise Code: 10280107510 Reg. No.: 230140020217281018216 2

الحراء پبلک اسکول، شریف کالونی، پٹنہ

AL-HIRA PUBLIC SCHOOL

SHARIF COLONY, PATNA - 800 006

A Unit of : Iqra Educational And Welfare Trust Patna

Contemporary Education in Islamic Atmosphere

Admission Test (Session 23-24)

Date: 12th Feb. 2023 (Sun) at 9:30 a.m.

C.B.S.E. Curriculum | English Medium with Hostel

Tel : 7635031127, 9122799906, 9122799960

Email: alhirapatna@gmail.com | Website:www.alhirapatna.com

वर्तमान आर्थिक चुनौतियां और क़ुरआन



समाधान



डॉ० फ़रहत हुसैन

क़ुरआन अर्थशास्त्र का ग्रन्थ नहीं है, परन्तु इसमें मानव जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए ईश्वर की ओर से ऐसा मार्गदर्शन है जो स्वाभाविक, सरल और सन्तुलित है तथा लोक-परलोक की सफलता की ओर ले जाता है। इन्सान के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग आर्थिक अर्थात् रोज़ी-रोटी, जीविकोपार्जन, क्रय-विक्रय, उत्पादन तथा कृषि से जुड़ा है। पवित्र क़ुरआन में इस आर्थिक पक्ष के संबंध में सभी बुनियादी निर्देश मौजूद हैं।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने उनको व्यवहारतः लागू करके दिखाया और बिगड़े हुए आर्थिक हालात को ख़ुशहाली तथा सम्पन्नता की ओर अग्रसर कर दिया। पवित्र क़ुरआन में सौ से अधिक आयतें या अंश सीधे आर्थिक मामलों से संबंधित हैं, अन्य अनेक नियम तथा शिक्षाएं भी अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियों में भी मार्गदर्शन करती हैं। यहां मैं क़ुरआन की तीन आयतों में वर्णित निर्देशों पर चर्चा करूंगा–

(1) 'धन, मालदारों में ही चक्कर न लगाता रहे' क़ुरआन का एक छोटा परन्तु महत्वपूर्ण वाक्य है–''ऐसा न हो कि तुम्हारा धन केवल धनवानों में ही चक्कर लगाता रहे।'' (क़ुरआन, 59:7)

आशय यह है कि धन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है इसलिए इसका प्रवाह ऐसा होना चाहिए कि यह सभी नागरिकों तक पहुंचे। केवल अमीरों के बीच ही चक्कर न लगाता रहे।

विश्व की आर्थिक प्रणालियां इस सिद्धान्त से अपरिचित हैं। पूंजीवादी प्रणाली का तो पूरा ज़ोर ही इस बात पर है कि पूंजी की शक्ति द्वारा आर्थिक जगत के साधनों को अधिक से अधिक अपनी ओर ही आकर्षित किया जाए इसका सबसे बड़ा हथियार 'ब्याज' है, जबकि किसी धर्म में भी ब्याज की अनुमति नहीं तथा इसके पक्ष में दी जाने वाली दलीलें

तथा तर्क भी विवेक की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते, फिर भी ब्याज वर्तमान आर्थिक क्रियाओं का केन्द्र बना हुआ है। जिसका परिणाम यह है कि धन का प्रवाह पूंजीपतियों की ओर ही है। इसी प्रकार पूंजीवादी प्रणाली में ऐसे सिद्धान्त बनाए गए जो धनवान को और धनी बनाते हैं तथा ग़रीब और ग़रीब होता जाता है।

समाजवादी प्रणाली ने मज़दूरों तथा वंचित वर्ग की वकालत की, उसकी सराहना होनी चाहिए, परन्तु उसने एक दूसरी अति को अपनाया जिसमें आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व से ग़रीब अमीर सबको वंचित कर दिया। आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण पूंजीपतियों के बजाय सरकार के पास चला गया। एक अस्वाभाविक प्रणाली होने के कारण धन का बहाव भी प्राकृतिक नहीं रह सका इस प्रकार यह प्रणाली भी आर्थिक समस्या को नहीं सुलझा सकी।

क़ुरआन की उपरोक्त शिक्षा के अनुसार समाज तथा राज्य की आर्थिक नीति की बुनियाद का यह उसूल है कि धन सम्पत्ति तथा आर्थिक साधनों का प्रवाह सम्पूर्ण समाज में सामान्य एवं निर्बाध रूप से होना चाहिए। नीतियां एवं क्रियाएं ऐसी न हों कि धन-दौलत केवल धनवानों एवं पूंजीपतियों की 'बपौती' बन जाए। परिणामस्वरूप अमीर और अमीर हो जाए तथा ग़रीब और अधिक ग़रीब हो जाए।

इस सिद्धान्त या नीति को व्यक्त कर देने को पर्याप्त नहीं समझा गया, बल्कि इसके क्रियान्वयन के लिए नियम भी बनाए गए और उन्हें धरातल पर लागू करके भी दिखाया गया। इसी उद्देश्य से ब्याज को अवैध घोषित कर उसे प्रतिबन्धित किया गया। ज़कात (ग़रीबों के लिए अनिवार्य दान) को अनिवार्य किया गया। ऐच्छिक दान तथा कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) के नियमों के तहत धन का रुख़ ग़रीबों की ओर किया गया। उत्तराधिकार का ऐसा क़ानून बनाया गया कि मृतक की छोड़ी हुई सम्पत्ति समाज में अधिक से अधिक फैल जाए।

ज़कात लोगों के जमा धन, व्यापारिक स्टॉक, पशु-धन तथा कृषि उपज आदि से वसूल की जाती है और उसकी अधिकांश मात्रा ग़रीबों के ऊपर ख़र्च होती है। यह इस बात का संकेत है कि इस्लामी



आर्थिक नीति में आय तथा व्यय पर प्रभावशाली लोगों का आधिपत्य न हो। दौलत का बहाव निर्धन से धनवानों की ओर न हो और न केवल धनी वर्ग के बीच ही घूमती रहे, बल्कि आर्थिक क्रिया में ग़रीब वंचित, अनाथ, अपंग और हाशिए पर जीवनयापन कर रहे लोगों की बुनियादी आवश्यकता पूर्ण करने को एक निश्चित लक्ष्य के रूप में आर्थिक नीति-निर्माताओं को अपने सामने रखना चाहिए। इसके साथ ही

समाजवादी प्रणाली ने मज़दूरों तथा वंचित वर्ग की वकालत की, उसकी सराहना होनी चाहिए, परन्तु उसने एक दूसरी अति को अपनाया जिसमें आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व से ग़रीब अमीर सबको वंचित कर दिया। आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण पूंजीपतियों के बजाय सरकार के पास चला गया। एक अस्वाभाविक प्रणाली होने के कारण धन का बहाव भी प्राकृतिक नहीं रह सका इस प्रकार यह प्रणाली भी आर्थिक समस्या को नहीं सुलझा सकी।

साथ व्यापारियों व व्यावसायिओं के सामान्य एवं जायज़ हित भी सुरक्षित रहें। यह अद्भुत सन्तुलन इस्लाम की एक बड़ी देन है।

(2) 'धनवानों के माल में ज़रूरत-मन्दों का हक़' क़ुरआन के 51वें अध्याय का एक अंश इस प्रकार है–''उनके माल में (मदद) मांगने वालों तथा वंचितों का हक़ है।'' (क़ुरआन, 51:19)

एक अन्य स्थान (70:24-25) पर भी लगभग यही बात कही गई है। उत्तम प्रकृति के लोगों के गुण बताते हुए कहा जा रहा है कि ईश्वर की कृपा से उन्हें जो धन प्राप्त है उस पर वे केवल अपना और अपने परिवार का ही एकमात्र अधिकार नहीं समझते। वे यह मानते हैं कि समाज के ज़रूरतमन्दों का भी उसमें हक़ है। कुछ लोग अपनी ज़रूरत को व्यक्त करते हुए सहायता के लिए आग्रह कर सकते हैं और कुछ अन्य 'वंचित वर्ग' में ऐसे भी हो सकते हैं जो बेरोज़गार हों या रोज़ी कमाने के बाद भी आवश्यकता की पूर्ति न हो रही हो या किसी दुर्घटना का शिकार होकर मोहताज हो गए हों या वृद्धावस्था में उनकी देख-रेख करने वाला कोई न हो। ऐसे में वे अपने आत्म-सम्मान के कारण किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म महसूस करते हों।

ऐसे लोगों के बारे में जब पता चल जाए कि वे वास्तव में असम्पन्न हैं तो एक ईशभक्त व्यक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करता कि वह उसके पास मदद मांगने के लिए आए, बल्कि आगे बढ़कर उसकी सहायता करता है। दान-पुण्य, ग़रीब की मदद प्रत्येक सभ्य समाज में नेक कार्यों में गिना जाता है, परन्तु यहां जो चीज़ अति महत्वपूर्ण और दिल को छू जाने वाली है वह सम्पन्न वर्ग की मानसिकता में बदलाव। वह अपने स्वयं के माल को ग़रीब पर ख़र्च करके यह समझता है कि यह तो उसका हक़ था जो मैंने उसे दिया है। इस पर ईश्वर जो प्रतिफल जो पुण्य प्रदान करे यह उसकी कृपा होगी, परन्तु जिसकी मदद की जा रही है उसपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं।

> **"कुरआन की उपरोक्त शिक्षा के अनुसार समाज तथा राज्य की आर्थिक नीति की बुनियाद का यह उसूल है कि धन सम्पत्ति तथा आर्थिक साधनों का प्रवाह सम्पूर्ण समाज में सामान्य एवं निर्बाध रूप से होना चाहिए। नीतियां एवं क्रियाएं ऐसी न हों कि धन-दौलत केवल धनवानों एवं पूंजीपतियों की 'बपौती' बन जाए। परिणामस्वरूप अमीर और अमीर हो जाए तथा ग़रीब और अधिक ग़रीब हो जाए।"**

समाज में यह अवधारणा और यह सोच पैदा करना वास्तव में महत्वपूर्ण बिन्दु है, जिस पर मानवजाति को अल्लाह का कृतज्ञ और आभारी होना चाहिए। स्पष्ट है कि इस सोच के लिए परलोक की अवधारणा आधार का काम करती है।

(3) 'धन को रोककर रखने के बजाए व्यय करने की शिक्षा'–

मुद्रा का सामान्य बहाव बाज़ार में बना रहे यह आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यावश्यक है। इसके लिए अपव्यय और कन्जूसी दोनों को मना करते हुए मध्य मार्ग अपनाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही पवित्र क़ुरआन में एक महत्वपूर्ण नियम प्रस्तुत किया गया–''लोग तुम से पूछते हैं कि क्या ख़र्च करें, कह दीजिए कि जो तुम से बच जाए।'' (क़ुरआन, 2:219)

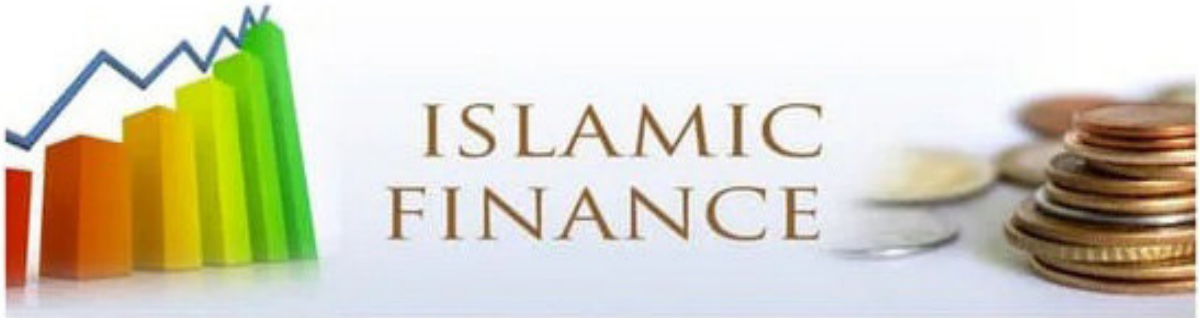

अर्थात् अपना अतिरिक्त धन रोके रखने के बजाए उसे ख़र्च करो। यह धन जब बाज़ार में पहुंचेगा तो मांग, पूर्ति, उत्पादन और रोज़गार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देगा और आर्थिक विकास में सहायक होगा। क़ुरआन के इन तीन अंशों से सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है कि क़ुरआन की शिक्षाओं में मानवजाति के लिए कितना बड़ा मार्गदर्शन है। ■■

कविता



डॉ. रामनिवास 'मानव'

जला रहा हूं दीये

जिस जगह ख़ड़ा हूं मैं,
यह दोराहा, तिराहा
या चौराहा नहीं है,
यहां से निकलती हैं अनगिनत राहें।
हर राह पर है अंधेरा,
अंधेरा ही अंधेरा!
इनमें कोई राह नहीं है मेरे लिए;
कहीं नहीं जाना है मुझे,
क्योंकि किसी भी राह पर
नहीं है मेरी मंज़िल।
इसलिए मैं जला रहा हूं दीये
हर अंधेरी राह पर,
ताकि भटक न पाएं
इन राहों के राही।
मेरे जलाये दीये की रोशनी से
पहुंच गया एक भी राही
अपने गंतव्य पर,
तो मैं समझूंगा
मिल गई है मंज़िल मुझे ही।
इसलिए जला रहा हूं दीये
मैं हर अंधेरी राह पर।

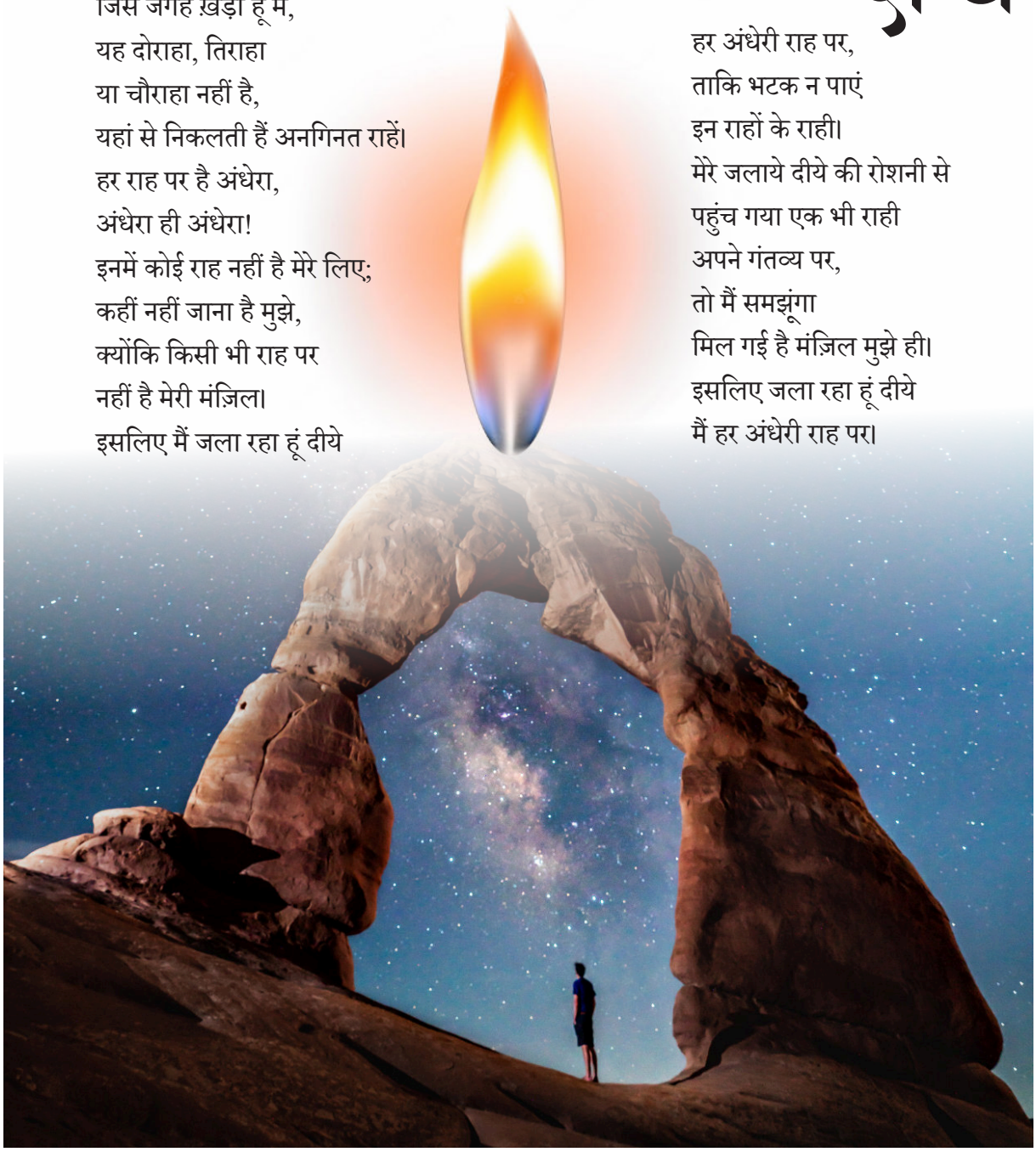

कॉलेजियम विवाद और केशवानंद भारती केस

जटिल राह का ध्रुव तारा



समसामयिक



डॉ. प्रदीप कुमार

कॉलेजियम पर सरकार और न्यायपालिका में चल रहे विवाद का दायरा बढ़ा तो संविधान के मूलभूत संरचना सिद्धांत को लेकर भी चर्चा तेज़ हो गई है। सरकार ने एक बार फिर जजों की नियुक्ति को लेकर वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने पर ज़ोर देना शुरू कर दिया है, जिससे सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान का दौर शुरू हो गया है। एक लंबे समय से जहां सरकार कॉलेजियम व्यवस्था की विसंगतियों को रेखांकित करने में लगी हुई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस व्यवस्था को संविधान-सम्मत ठहराने में लगा हुआ है।

दरअस्ल, संसद ने वर्ष 2014 में एक क़ानून पास किया, जिसमें कॉलेजियम (जो पूर्ण रूप से जजों की सदस्यता वाला होता है) की जगह एक आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन (एनजेएसी) बनाया था। इस क़ानून के प्रावधान ऐसे थे कि सरकार और उसके प्रतिनिधियों की रज़ामंदी के बिना कोई नियुक्ति नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ख़िलाफ़ माना और जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए इस कमीशन को अक्टूबर 2015 में ग़ैर-संवैधानिक क़रार दे दिया। उसने कहा था कि इसके लिए अगर कॉलेजियम के बदले कोई क़ानून संसद से बनाया जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में आ सकता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दख़ल की स्थिति में वह ख़ारिज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस की मूल संरचना की दलील के आधार पर यह फ़ैसला दिया था।

कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संविधान में न्यायपालिका और चीफ़ जस्टिस की राय को तरजीह देने की बात कही गयी है और सरकार का इस तरह का दख़ल संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है।

जानकारों का मानना है कि न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें भारतीय लोकतंत्र के मूल चरित्र के लिए ख़तरा हैं। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा न्यायपालिका पर अपनी सीमा का अतिक्रमण करने का आरोप रह-रहकर लगता रहा है।

उल्लेखनीय है कि 50 वर्ष पहले केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद के पास संविधान को संशोधित करने की शक्ति है, बशर्ते



संविधान के मूलभूत ढांचे (बेसिक स्ट्रक्चर) को न बदला गया हो। इस केस में सबसे बड़ी जीत हुई थी भारत के संविधान की और इसकी मूल भावना को बचाने के जज़्बे की, जो इस क़ानूनी लड़ाई के केंद्र में था।

सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि संविधान का 'मूलभूत ढांचा' (बेसिक स्ट्रक्चर) एक पवित्र चीज़ है। इस फ़ैसले ने तब से लेकर आज तक संविधान को शक्ति दी है और इससे इस यक़ीन को आधार मिला कि एक पार्टी के वर्चस्व के दौर की वापसी भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर नहीं कर सकेगी।

हाल के कॉलेजियम विवाद के दौरान सीजेआई केवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जब भी आगे का रास्ता जटिल होता है तो भारतीय संविधान की मूल संरचना ध्रुव तारा की तरह मार्गदर्शन करती है। दरअस्ल 'केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ,1973' मामले में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है, जो भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। इन प्रावधानों को संविधान से संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इतने महत्त्वपूर्ण हैं कि इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान का सार-तत्त्व, जो जनमानस के विकास के लिये आवश्यक है, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा।

बात यदि कॉलेजियम व्यवस्था की करें तो केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच दिख रहे खींचतान का कारण इसकी स्वायत्ता है, जिसमें केन्द्र अपना पूरा दख़ल चाहती है। आरोप है कि सरकार ऐसी व्यवस्था चाहती है जिसमें सरकार के पास अपने पसंद के लोगों को जज बनाने का विकल्प सदैव मौजूद हो। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जजों की नियुक्ति में केन्द्र सरकार का अमल-दख़ल हो गया तो सरकार न्यायपालिका में अपने लोगों को बिठाकर उसका अतिक्रमण कर सकती है। सरकार पर पहले से ही आरोप है कि उसने संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है।

सरकार के दख़ल से इतर कॉलेजियम एक स्वायत्त व्यवस्था है, जो जजों की नियुक्ति के लिए योग्यता का चुनाव करता है और उनके नामों को केन्द्र सरकार को भेजता है। जजों के लिए योग्य व्यक्तियों के चुनाव में सरकार का कोई दख़ल नहीं होता, लेकिन उनके नामों को मंज़ूरी देने या उस पर आपत्ति जताने का अधिकार सरकार के पास होता है। कॉलेजियम द्वारा की गई सिफ़ारिशों को सरकार राष्ट्रपति के पास भेजती है। इन सिफ़ारिशों को

मानना राष्ट्रपति और सरकार के लिए अनिवार्य होता है। हालांकि सरकार को यह अधिकार होता है कि वह एक बार कॉलेजियम से नामों और सिफ़ारिशों पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है। अगर कॉलेजियम ने विचार करने के बाद फिर उन्हीं सिफ़ारिशों को सरकार के पास भेज दिया तो सरकार के लिए उसे मंज़ूर करना ज़रूरी हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कॉलेजियम सिस्टम में सरकार की भूमिका सलाह देने या अपनी असहमति जताने तक ही सीमित है।

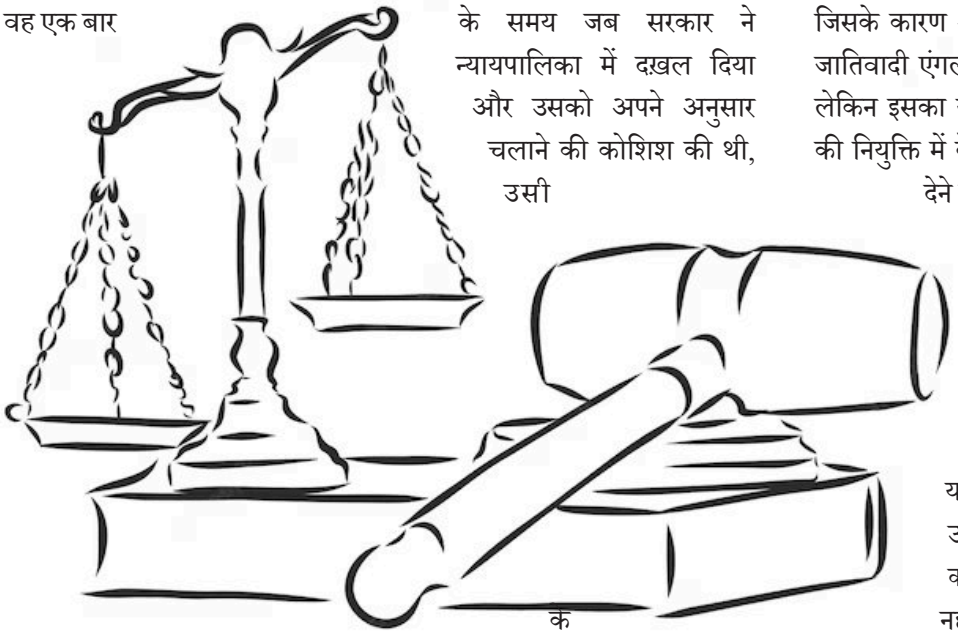

उल्लेखनीय है कि इमरजेंसी के समय जब सरकार ने न्यायपालिका में दख़ल दिया और उसको अपने अनुसार चलाने की कोशिश की थी, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की न्यायिक व्याख्या करके कॉलेजियम सिस्टम बनाया। इसका मक़सद अदालतों की स्वायत्ता और निष्पक्षता को बनाए रखना था। बहुत हद तक यह सही हो सकता है कि कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरह निष्पक्ष न हो। जाने-माने दलित विचारक दिलीप मंडल का यह कहना भी सही हो सकता है कि कॉलेजियम सिस्टम के ज़रिये सिर्फ़ सवर्ण जजों की नियुक्ति होती है, जिसके कारण अदालतों के फ़ैसलों में जातिवादी एंगल देखने को मिलता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जजों की नियुक्ति में केन्द्र सरकार को दख़ल देने की अनुमति दे दी जाए।

ग़ौरतलब है कि आज देश में ऐसे बहुत से मामले हैं, जिनमें सरकार वादी या प्रतिवादी है। सवाल उठता है कि यदि जजों की नियुक्ति में उसकी भूमिका रहेगी तो क्या वह 'इंटरेस्टेड पार्टी' नहीं मानी जाएगी? क्या जनता ऐसे नियुक्त हुए जजों के फ़ैसले को भी उसी भाव से देखेगी? वर्तमान समय में यह बात ज़्यादा उचित जान पड़ती है, क्योंकि आज देश में विचारधारा के स्तर पर ज़बरदस्त बहस है। व्यक्ति, संस्थाएं, राज्य के अभिकरण और स्वयं सत्ता में बैठा वर्ग एक पक्ष या दूसरे पक्ष की वकालत करता है।

इन स्थितियों में जबकि हर संस्था और सरकार के फ़ैसले विचारधारा-विशेष के चश्मे से देखे जा रहे हों, क्या ज़रूरी नहीं कि कम से कम न्यायपालिका की स्वायत्तता पर देश में एक राय बने? कॉलेजियम सिस्टम की ख़ामियों को दूर किये जाने और उसे पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर बात अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उसकी ख़ामियों को गिना कर जजों की नियुक्ति में सरकार के हस्तक्षेप को किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता। ■■

(लेखक 'विवेकानंदा कॉलेज ऑफ़ लॉ' अलीगढ़ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं)

इन स्थितियों में जबकि हर संस्था और सरकार के फ़ैसले विचारधारा-विशेष के चश्मे से देखे जा रहे हों, क्या ज़रूरी नहीं कि कम से कम न्यायपालिका की स्वायत्तता पर देश में एक राय बने? कॉलेजियम सिस्टम की ख़ामियों को दूर किये जाने और उसे पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने पर बात अवश्य होनी चाहिए, लेकिन उसकी ख़ामियों को गिना कर जजों की नियुक्ति में सरकार के हस्तक्षेप को किसी भी प्रकार उचित नहीं ठहराया जा सकता।

अनाथ लड़कियों की पुकार

VOICE OF ORPHAN GIRLS

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना (गया)

एक संक्षिप्त परिचय

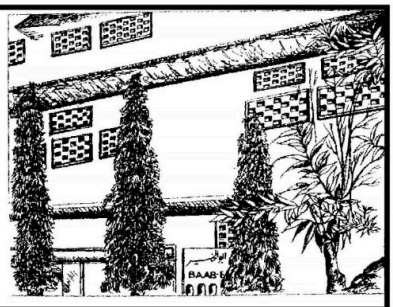

लड़कियों के लिए आधुनिक और इस्लामी तालीम से लैस राष्ट्रीय स्तर का एक आदर्श रिहाइशी (Residential) इदारा

● **36** वर्षीय सेवाएं ● 21 विभाग **शिक्षा** :प्राथमिक से मैट्रिक तक **पत्राचार शिक्षा** (Distance Education) I.A., B.A., M. A. एवं Library Science (Blis) ● स्टडी सेन्टर-यतीमख़ाना इस्लामिया गया ● मंज़ूरशुदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी **शोबा-ए-हिफ़्ज़ व नाज़रा के साथ-साथ मैट्रिक (Matric)** ● 12 छात्राओं ने हिफ़्ज़ के साथ मैट्रिक पास किया ● प्रौढ़ शिक्षा (Adult Educations) **वोकेशनल सेन्टर** (Vocational Centre) ● कटिंग और सिलाई : 11 बैच 103 छात्राएं ● ज़री वर्क्स : 7 बैच 65 छात्राओं ने Certificate हासिल की ● **बिहार सेकेन्ड्री बोर्ड** 1993 ई॰ से **2022** ई॰ तक 102 अनाथ बच्चियों और 78 मां-बाप वाली बच्चियों ने मैट्रिक पास किया ● कंप्यूटर (Computer) की भी शिक्षा ● **वार्षिक ख़र्च** : 35 लाख रुपये से अधिक ● **आमदनी के स्रोत** : मुस्लिम अवाम के चन्दे ● **इदारा 100** अनाथ बच्चियों का सारा ख़र्च पूरा करता है ● **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का वार्षिक ख़र्च 20,000/- रुपये है—आप भी एक अनाथ बच्ची का ख़र्च उठाकर सवाब में शरीक हों ।

सहायता के विभिन्न रूप : उदाहरणस्वरूप ● ज़कात ● सदक़ात ● अतियात ● पैदावार की ज़कात ● दीनी किताबें ● ज़मीन की ख़रीदारी और क़र्ज़ की अदाएगी आदि ● स्टाफ़ की मासिक आय के लिए 1,35,000/- रुपये से अधिक ● मां-बाप या रिश्तेदारों के नाम कमरा या हॉल बनवाने और निर्माण कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट, सरिया और अन्य सामग्री या उसका मूल्य देना। नोट : ❶ यहां प्रतिवर्ष हिसाब चेक किए जाते हैं और ऑडिट होता है। हर चीज़ खुली किताब की तरह है। ❷ इदारा में ख़ुद आकर बराबरी का नमूना देखें कि अनाथ बच्चियां और वे बच्चियां जिनके मां-बाप हैं किस तरह मिल-जुलकर रहा करती हैं । ❸ इस्लामी माहौल, खुला स्थान, इस्लामी लिबास, इस्लामी यूनिफार्म और इस्लामी तालीम के साथ-साथ कम ख़र्च में बिहार सेकेन्ड्री बोर्ड के निसाब के साथ मेयारी तालीम।

चार बातें याद रखें : ❶ बैंक (Bank) की वह रक़म जो सूद (Interest) के तौर पर बैंक से मिलती है, जो मुसलमानों के लिए हराम है उस रक़म को ग़रीब यतीम लड़कियों की अशिक्षा और जहालत दूर करने और तालीम फैलाने के लिए लड़कियों के दारुल यतामा फंड में दें। ❷ यतीम बच्चियां जिनके पिता का देहांत हो चुका है उनके भोजन एवं आवास के साथ-साथ एक बेटी की तरह यहां सारी सहूलत बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं ❸ बाहरी छात्राओं के लिए अपने ख़र्च पर होस्टल की भी व्यवस्था है। ❹ यतीम तालिबात का दाख़िला तालीम मअ तआम-ओ-क़याम और रिहाइश बिल्कुल मुफ़्त है कोई ख़र्च नहीं लिया जाता है।

नोट : क़ौम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अनुरोध है कि क़ौम की यतीम बच्चियों को इदारा में दाख़िल कराने के लिए रहनुमाई करें और तवज्जोह दिलाएं। शुक्रगुज़ार हूंगा।

इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना तआवुन का मुंतज़िर है।

आप ख़ुसूसी तवज्जोह दें : मुल्क में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से आपका यह इदारा माली मुश्किलात में घिरा हुआ है। दुश्वारी का सामना है। आमदनी घट के कम हो गई है। यह साल भी मुल्क के दीनी इदारों के लिए ज़िन्दगी और मौत का सवाल बन गया है। ख़ुदारा यतीमख़ाने मदारिस और मसाजिद को बन्द होने से बचाइए। इन पर रहम कीजिए। अल्लाह आप पर रहम करेगा।

Foreign Donors ग़ैर-मुल्की चंदा दहंदगान

A/c Name : The Gaya Muslim Girls Orphanage
Bank A/c No :
Bank Swift Code :
Bank :

Contact Us
For New Bank Account Details

नोट : बाहर मुल्क के हज़रात अब डॉलर, रियाल और पाउंड वग़ैरह में भी ऊपर लिखे हुए अकाउंट नम्बर पर अपनी रक़म भेज सकते हैं।

चेक व ड्राफ्ट पर सिर्फ यह लिखें : "The Gaya Muslim Girls' Orphanage"

तरसीले ज़र व रावते का पता : Hon. General Secretary
The Gaya Muslim Girls' Orphanage
At. Kolowna, P.O. Cherki-824237, Distt. Gaya (Bihar) India
E-mail : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.com, Website : www.gmgo.in

Indian Donors : भारतीय चंदा देने वाले

A/c Name : The Gaya Muslim Girls Orphanage
Bank A/c No. : 300402010007752
Bank IFS Code No : UBIN0530042
Bank : Union Bank of India (Main Branch, Gaya)

नोट : हिन्दुस्तानी सूबों और बाहर मुल्क में रहने वाले हज़रात हिन्दुस्तानी बैंक का चेक व ड्राफ्ट और रक़म हिन्दुस्तानी चंदा दहंदगान वाले अकाउंट नम्बर पर भेजें।

नोट : Documentary Film - Nazr-e-Enayeth जिसमें दोनों यतीमख़ाना (Boys & Girls) की मुख़्तसर तारीख़ है, इंटरनेट You-Tube पर देखें।

नोट : रक़म कोर बैंकिंग और ऑनलाइन Online से भेजने वाले हज़रात मोबाइल या ई-मेल E-mail या डाक से मुकम्मल पता भेज दिया करें ताकि रक़म की रसीद रवाना की जा सके।

इक़बाल अहमद ख़ान बानी व एज़ाज़ी जेनरल सेक्रेट्री - 09934480190



विषमता का विष

परिदृश्य



जितेंद्र गौतम

आय की भारी असमानता एक कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी विडंबना है। ऑक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि यदि भारत में आर्थिक नीति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया तो चमकते इंडिया के नीचे एक कराहता भारत बना रहेगा। भारत में हाल के वर्षों में जिस तरह आर्थिक असमानता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वह चिंताजनक है। उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि कुछ लोगों की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है, तो करोड़ों लोग और भी ग़रीब हुए हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के ऊपरी एक प्रतिशत वर्ग के पास देश की 40 प्रतिशत दौलत है, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत के पास मात्र 3 प्रतिशत। रिपोर्ट में चौंकाने वाला तथ्य यह है कि देश के ग़रीब, अमीरों के मुक़ाबले सरकार को ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीरों की तुलना में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर ग़रीब ज़्यादा ख़र्च करते हैं। उदाहरण के लिए नीचे का 50 प्रतिशत वर्ग खाने के सामान, ग़ैर-खाने के आइटम्स और दोनों को मिलाकर भी टैक्स का 64 प्रतिशत देता है। मध्यम वर्ग जो 40 प्रतिशत है कुल टैक्स का औसतन 31 प्रतिशत देता है, जबकि ऊपर का धनाढ्य वर्ग केवल 3-4 प्रतिशत कर देता है।

समाजशास्त्रियों का मानना है कि समाज के एक बड़े हिस्से का जीवन जीने की ज़रूरी शर्तों से लंबे समय तक वंचित रहना ख़तरनाक हो सकता है।

देश बेरोज़गारी और महंगाई की समस्याओं से जूझ रहा है। जब सामान्य लोगों की क्रय क्षमता कम हो तो महंगाई लोगों के जीवन स्तर को कम कर देती है। हाल के समय में कॉरपोरेट टैक्स में कमी की गई, वहीं दूध-दही जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के जीएसटी में वृद्धि की गई।

कॉरपोरेट टैक्स में कमी करते हुए सरकार ने कहा था कि इससे नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, लेकिन कंपनियों ने कॉरपोरेट टैक्स में छूट का लाभ तो लिया पर निवेश में कमी अभी चिंता का विषय बनी हुई है। 64 प्रतिशत जीएसटी 50 प्रतिशत ग़रीब दे रहे हैं, जबकि अमीर केवल 10 प्रतिशत।

प्रगतिशील कर प्रणाली मूलतः आय आधारित होती है। प्रत्यक्ष कर में तो इसका पालन हो जाता है परंतु अप्रत्यक्ष कर की चपेट में देश का निर्धनतम व्यक्ति भी आ जाता है। स्पष्ट है कि अप्रत्यक्ष

करों के संदर्भ में सरकार को अत्यंत संवेदनशील होने की ज़रूरत है। इसलिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह जीवनोपयोगी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखे।

अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि कोविड काल में भी भारत के अमीरों का प्रदर्शन अच्छा रहा और 2020 से 2022 के बीच अरबपतियों की तादाद 102 से बढ़कर 166 हो गई। अध्ययन से अनुमान जताया गया है कि इस अवधि में देश के अरबपतियों की संपत्ति हर मिनट 121 प्रतिशत यानी क़रीब 2.5 करोड़ रुपये बढ़ी। ऐसे समय में जब देश



मुश्किलों से जूझ रहा था और बेरोज़गारी दर ऊंची बनी हुई थी तब धनाढ्यों की संपत्ति में यह बढ़ोत्तरी उल्लेखनीय है। मात्र दो वर्षों में 64 नये अरबपतियों का बढ़ने का अर्थ क्या है?

दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों में इस बात पर सहमति बढ़ रही है कि आर्थिक विकास समावेशी नहीं है, और उसमें टिकाऊ विकास के तीन ज़रूरी पहलू आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण शामिल नहीं हैं, तो वह ग़रीबी कम करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में 10वें लक्ष्य का उद्देश्य बढ़ती असमानता को कम करना रखा गया है। वर्तमान में आर्थिक असमानता से उबरने का सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि वंचित वर्ग को अच्छी शिक्षा, रोज़गार उपलब्ध कराते हुए सुदूरवर्ती गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा ख़र्च करने की ज़रूरत है।

कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में सरकार की कोशिश रहती है कि आय और संपत्ति के मामले में असमानता कम से कम की जाए। आज़ादी के बाद से भारत इस बाबत प्रयासरत था और 1991 तक के आंकड़ों से इस बात की तस्दीक़ होती है कि साल दर साल असमानता कम होने की तरफ़ अग्रसर थी, लेकिन वर्ष 1991 में उदारीकरण लागू होने के बाद से असमानता तेज़ी से बढ़ी। उद्योग हितैषी नीतियां लागू की गईं और कॉरपोरेट को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियतें मिलने लगीं। इस क्रम में उद्योग और कंपनी क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने की ग़रज़ से ऐसी नीतियां लागू हुईं जिनसे

भारत में अधिकांश रोज़गार असंगठित क्षेत्र में है, और वह क्षेत्र नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन से अब तक उभर नहीं पाया है। इसलिए आर्थिक समानता के लिए इस क्षेत्र पर ज़ोर देना आवश्यक है। आर्थिक नीतियां ऐसी बनें, जिनसे गरीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आय और संपत्ति में बढ़ते असंतुलन को दूर करने के उपाय देश की सामाजिक आर्थिक नीति से ही निकाले जा सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत की सदैव यह कोशिश होनी चाहिए कि वह नागरिकों को एक अधिकारयुक्त जीवन देने के साथ-साथ समाज में व्याप्त भारी आर्थिक असमानता को दूर करे।

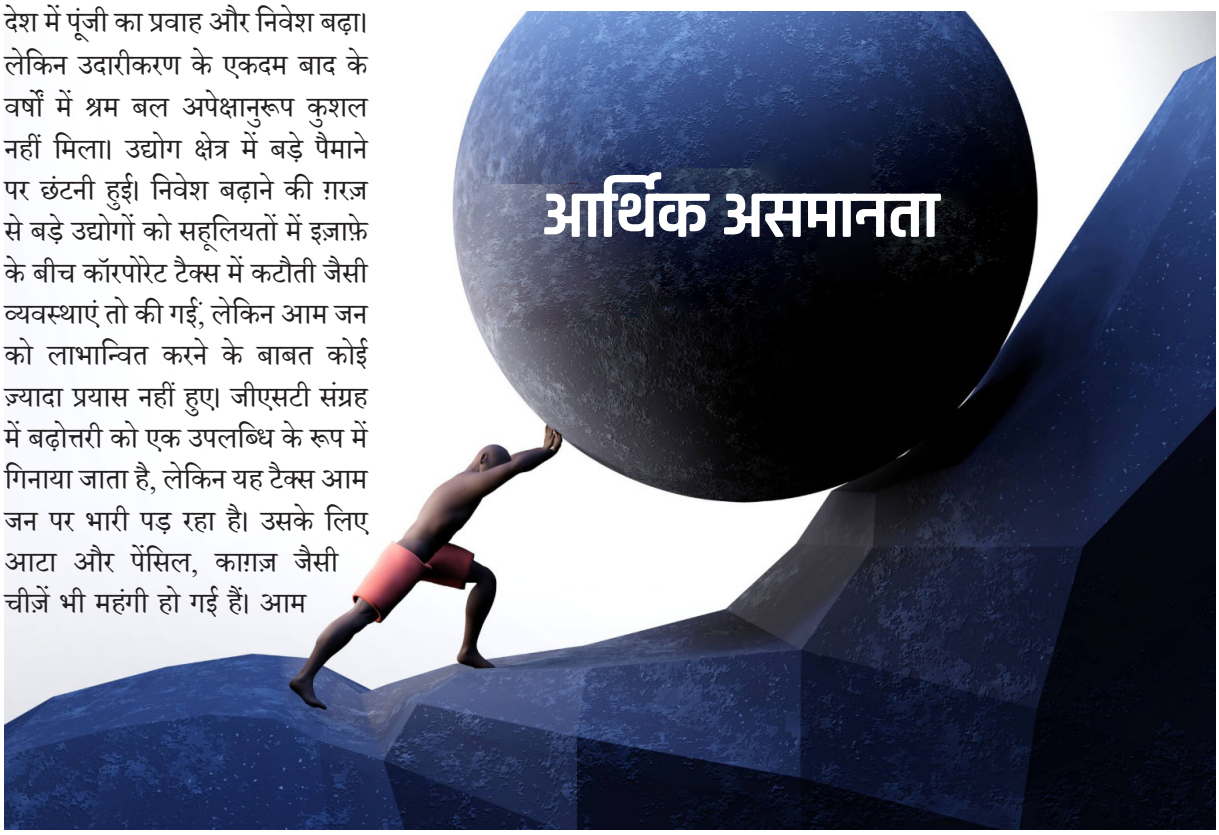

देश में पूंजी का प्रवाह और निवेश बढ़ा। लेकिन उदारीकरण के एकदम बाद के वर्षों में श्रम बल अपेक्षानुरूप कुशल नहीं मिला। उद्योग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर छंटनी हुई। निवेश बढ़ाने की ग़रज़ से बड़े उद्योगों को सहूलियतों में इज़ाफ़े के बीच कॉरपोरेट टैक्स में कटौती जैसी व्यवस्थाएं तो की गईं, लेकिन आम जन को लाभान्वित करने के बाबत कोई ज़्यादा प्रयास नहीं हुए। जीएसटी संग्रह में बढ़ोत्तरी को एक उपलब्धि के रूप में गिनाया जाता है, लेकिन यह टैक्स आम जन पर भारी पड़ रहा है। उसके लिए आटा और पेंसिल, काग़ज़ जैसी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। आम जन संपत्ति और आय में असमानता के दंश से बचाने के लिए यदि करों को ही तर्कसंगत कर दिया जाए तो काफ़ी राहत मिल सकती है।

ऑक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि यदि भारतीय अरबपतियों की संपत्ति पर मात्र दो प्रतिशत कर लगाया जाए तो तीन साल तक कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए सभी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। भारत के 10 सबसे अमीरों पर एक बार 5 प्रतिशत कर लगाया जाए तो 1.37 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट से 1.5 गुना अधिक है।

स्पष्ट है कि अमीरी-ग़रीबी की खाई को समाप्त करने के लिए सरकार को कॉरपोरेट टैक्स छूट पर पुनर्विचार करना चाहिए और अतिरिक्त प्रगतिशील संपत्ति कर अरबपतियों पर लगाना चाहिए। भारत में अधिकांश रोज़गार असंगठित क्षेत्र में है, और वह क्षेत्र नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन से अब तक उभर नहीं पाया है। इसलिए आर्थिक समानता के लिए इस क्षेत्र पर ज़ोर देना आवश्यक है। आर्थिक नीतियां ऐसी बनें, जिनसे ग़रीब को भी आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले। आय और संपत्ति में बढ़ते असंतुलन को दूर करने के उपाय देश की सामाजिक व आर्थिक नीति से ही निकाले जा सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत की सदैव यह कोशिश होनी चाहिए कि वह नागरिकों को एक अधिकारयुक्त जीवन देने के साथ-साथ समाज में व्याप्त भारी आर्थिक असमानता को दूर करे। ■■

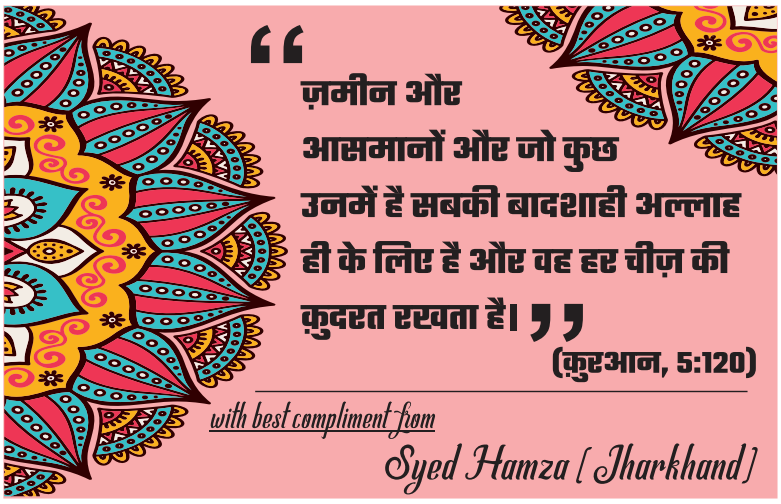

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ 25+ Successful Years of Contemporary Education in Islamic Atmosphere

الحراء پبلک اسکول، شریف کالونی، پٹنہ

AL-HIRA PUBLIC SCHOOL

CLASSES: I to VIII and HIFZ

Regd. No. 23014002021728101821 62
U-DISE:10280107510
(Govt. of Bihar)

گلشنِ حِراء

GULSHAN-E-HIRA

Play School for Kids

CLASSES: NURSERY TO UKG

الحراء ٹیوٹوریلس

AL-HIRA TUTORIALS

Coaching for Classes : IX & X

C.B.S.E. Curriculum | English Medium

Registration going on
Admission Test : 12th Mar. 2023 at 9:30 a.m.

SHARIF COLONY, PATNA-800006

7635031127, 9122799906, 9122799960

www.alhirapatna.com alhirapatna@gmail.com

रमज़ान के पवित्र अवसर पर विशेष

रोज़ा क्या और क्यों ?



विशेष



संपादन प्रभाग

इस संपूर्ण ब्रह्मांड और इंसान का अल्लाह (ईश्वर) एक है। ईश्वर ने इंसान को बनाया और उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रबंध किया। इंसान को इस ग्रह पर जीवित रहने के लिए लाइफ़ सपोर्ट सिस्टम दिया। इंसान को उसके मूल प्रश्नों का उत्तर भी बताया।

इंसान को क्या कोई बनाने वाला है? अगर है तो वह क्या चाहता है इंसान को पैदा क्यों किया गया? इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर है तो उस उद्देश्य को पाने का तरीक़ा क्या है? इंसान को आज़ाद पैदा किया गया या मजबूर? अच्छी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी जा सकती है? मरने के बाद क्या होगा इत्यादि। यह इंसान के बुनियादी सवाल हैं, जिनका जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है।

इंसानों में से ईश्वर ने कुछ इंसानों को चुना जो पैग़म्बर (ईशदूत) कहलाए। उन्हें अपना संदेश भेजा, जो सभी इंसानों के लिए मार्गदर्शन है। पहले इंसान व पैग़म्बर हज़रत आदम (अलैहि.) से लेकर आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) तक अनेक ईशदूत आए, जो कि हर क़ौम में भेजे गए। सभी ईशदूतों ने लोगों को उनकी भाषा में ईश्वर का संदेश दिया।

प्रश्न यह है कि बार-बार अनेक पैग़म्बर क्यों भेजे गए? वास्तव में प्राचीन काल में परिवहन एवं संचार के साधनों की कमी के कारण एक जगह की ख़बर दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल थी। दूसरे यह कि लोग ईश्वर के संदेश को बदल देते थे, तब ज़रूरत होती थी कि दोबारा ईश्वर आए।

सभी पैग़ंबरों ने एक ही संदेश दिया कि ईश्वर एक है, दुनिया इम्तिहान की जगह है और मरने के बाद ज़िंदगी है।

पहले के सभी पैग़ंबरों का मिशन लोकल था, मगर आख़िरी पैग़ंबर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) का मिशन यूनीवर्सल है।

आख़िरी पैग़ंबर पर ईश्वर का जो अंतिम संदेश (क़ुरआन) उतरा, उसकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी स्वयं ईश्वर ने ली है। चौदह सौ साल से अधिक हो चुके हैं मगर आज तक उसे बदला नहीं जा सका। ईश्वर का संदेश अपनी अस्ल शक्ल (मूल-रूप) में मौजूद है, इसलिए अब ज़रूरत नहीं कि कोई नया ईशदूत आए।

क़ुरआन का केंद्रीय विषय इंसान है। क़ुरआन इंसान के बारे में ईश्वर की स्कीम को बताता है कि इंसान को सदैव के लिए पैदा किया गया है और उसे शाश्वत जीवन दिया गया है। ईश्वर ने इंसान के जीवन को दो भागों में बांटा है : मौत से पहले का समय, जो अस्थाई है, इंसान के इम्तिहान के लिए है। मौत के बाद का समय जो स्वर्ग या नरक के रूप में रूप में दुनिया में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का बदला मिलने के लिए है। यह कभी न ख़त्म होने वाला स्थाई दौर है। इन दोनों के बीच में मौत एक तबादले (Transition) के रूप में है।

क़ुरआन बताता है कि दुनिया इंसान के लिए एक परीक्षा स्थल है। इंसान की ज़िंदगी का उद्देश्य ईश्वर की इबादत (उपासना) है (क़ुरआन, 5:56) इबादत का अर्थ ईश्वर केंद्रित जीवन (God-centred life) व्यतीत करना है जो पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहता है। वास्तव में इंसान की पूरी ज़िंदगी इबादत है, अगर वह ईश्वर की मर्ज़ी के अनुसार व्यतीत हो। ईश्वर की मर्ज़ी के अनुसार जीवन व्यतीत करने का आदी बनाने के लिए आवश्यक था कि कुछ प्रशिक्षण भी हो, इसलिए नमाज़, रोज़ा, (निराहार उपवास) ज़कात और हज को इसी प्रशिक्षण के रूप में रखा गया। इसमें समय की एनर्जी की और दौलत की क़ुरबानी द्वारा इंसान को आध्यात्मिक उत्थान के लिए लाभदायक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस ट्रेनिंग को बार-बार रखा गया, ताकि इंसान अच्छाई पर स्थिर रखा जा सके, क्योंकि इंसान अंदर व बाहर से बदलने वाला अस्तित्व रखता है।

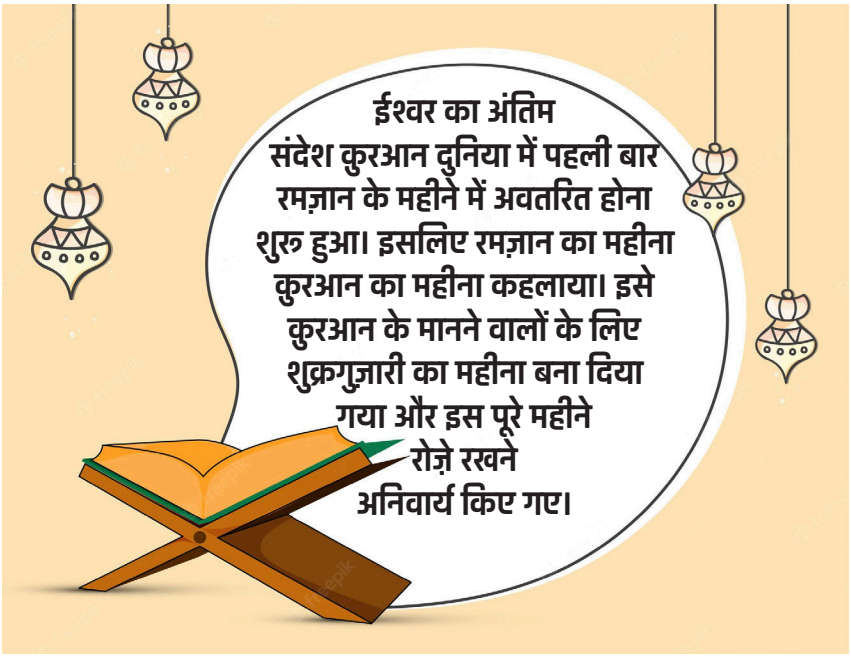

ईश्वर सबसे बेहतर जानता है कि कौन-सी चीज़ इंसान के लिए लाभदायक है और कौन-सी हानिकारक। इसलिए उसने हर वह काम जिसके करने से इंसान को हानि पहुंचे, हराम (अवैध) ठहराया। और हर उस काम को जिसके न करने से इंसान को हानि पहुंचाता, इबादत कहा और उनका करना इंसान के लिए अनिवार्य कर दिया।

ईश्वर का अंतिम संदेश क़ुरआन दुनिया में पहली बार रमज़ान के महीने में अवतरित होना शुरू हुआ। इसलिए रमज़ान का महीना क़ुरआन का महीना कहलाया। इसे क़ुरआन के मानने वालों के लिए शुक्रगुज़ारी का महीना बना दिया गया और इस पूरे महीने रोज़े रखने अनिवार्य किए गए।

रोज़ा एक इबादत है। रोज़े को अरबी भाषा में "सौम" कहते हैं। इसका अर्थ "रुकना और चुप रहना" है। क़ुरआन में इसे सब्र भी कहा गया है, जिसका अर्थ है स्वयं पर 'नियंत्रण' और स्थिरता व जमाव (Stability)। इस्लाम में रोज़े का मतलब होता है केवल ईश्वर के लिए, भोर से लेकर सूरज डूबने तक खाने-पीने, सभी बुराइयों (और पति-पत्नी का सहवास करने) से स्वयं को राके रखना। अनिवार्य रोज़े जो केवल रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं और यह हर व्यस्क मुसलमान के लिए अनिवार्य हैं। क़ुरआन में कहा गया है-

"ऐ ईमान लाने वालो! तुम पर रोज़े अनिवार्य किए गए, जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों पर किए गए थे, शायद कि तुम डर रखने वाले और परहेज़गार बन जाओ।" (क़ुरआन, 2:183)

"रमज़ान का महीना वह महीना

है जिसमें क़ुरआन उतारा गया लोगों के मार्गदर्शन के लिए और सत्य-असत्य के अंतर के प्रमाणों के साथ। अतः तुममें जो कोई इस महीने में मौजूद हो, उसे चाहिए कि उसके रोज़े रखे और जो बीमार हो या यात्रा में हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी कर ले। ईश्वर तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, वह तुम्हारे साथ सख़्ती और कठिनाई नहीं चाहता और चाहता है कि तुम संख्या पूरी कर लो और जो सीधा मार्ग तुम्हें दिखाया गया है, उस पर ईश्वर की बढ़ाई प्रकट करो ताकि तुम कृतज्ञ बनो।'' (क़ुरआन, 2:185)

रोज़ा एक बहुत महत्वपूर्ण इबादत है। हर क़ौम में, हर पैग़म्बर ने रोज़ा रखने की बात कही। आज भी रोज़ा हर धर्म में किसी न किसी रूप में मौजूद है। क़ुरआन के अनुसार रोज़े का उद्देश्य इंसान में तक़वा या संयम (God-Consciousness) पैदा करना है। तक़वा का एक अर्थ है 'ईश्वर का डर' और दूसरा अर्थ है 'ज़िंदगी में हमेशा एहतियात वाला तरीक़ा अपनाना।' ईश्वर एक ऐसी बात है जो इंसान को असावधान होने अर्थात् असफल होने से बचा लेता है।

क़ुरआन की आयत (Verse) 'ताकि तुम डर रखने वाले और परहेज़गार बन जाओ'- 2:183 से पता चलता है कि रोज़ा इंसान में डर पैदा करता है और उसे परहेज़गार (संयमी) बनाता है।

रोज़ा रखना इंसान की हर चीज़ को पाबंद (नियमबद्ध) बनाता है। आंख का रोज़ा यह है कि जिस चीज़ को देखने से ईश्वर ने मना किया, उसे न देखें। कान का रोज़ा यह है कि जिस बात को सुनने से ईश्वर ने मना किया, उसे न सुने। ज़ुबान का रोज़ा यह है कि जिस बात को बोलने से ईश्वर ने मना किया, उसे न बोले। हाथ का रोज़ा यह है कि जिस काम को करने से ईश्वर ने मना किया, उसे न करें। पैर का रोज़ा यह है कि जिस तरफ़ जाने से ईश्वर ने मना किया उधर न जाए। दिमाग़ का रोज़ा यह है कि जिस बात को सोचने से ईश्वर ने मना किया, उसे न सोचें। इसी के साथ-साथ यह भी है कि जिन कामों को ईश्वर ने पसंद किया, उन्हें किया जाए। केवल ईश्वर के बताए गए तरीक़े के अनुसार रोज़ा रखना ही इंसान को लाभ पहुंचाता है।

रोज़े का इंसान के दिमाग़ और उसके शरीर दोनों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। रोज़ा एक वार्षिक ट्रेंनिंग कोर्स है, जिसका उद्देश्य इंसान की ऐसी विशेष ट्रेनिंग करना है, जिसके बाद वह साल भर 'स्वयं केंद्रित जीवन' के बजाए, 'ईश्वर केंद्रित जीवन' व्यतीत कर सके। रोज़ा इंसान में अनुशासन (Self Discipline) पैदा करता है, ताकि इंसान अपनी सोच व कार्यों को सही दिशा दे सके। रोजा इंसान का स्वयं पर कंट्रोल ठीक करता है। इंसान के अंदर ग़ुस्सा, ख़्वाहिश (इच्छा), लालच, भूख, सेक्स और दूसरी भावनाएं हैं। इनके साथ इंसान का दो में से एक ही रिश्ता हो सकता है–इंसान इन्हें कंट्रोल करें या ये इंसान को कंट्रोल करें। पहली सूरत में लाभ और दूसरी में हानि है। रोज़ा इंसान को इन्हें क़ाबू करना सिखाता है। अर्थात् इंसान को जुर्म और पाप से बचा लेता है।

रोज़ा एक इबादत है। रोज़े को अरबी भाषा में "सौम" कहते हैं। इसका अर्थ "रुकना और चुप रहना" है। कुरआन में इसे सब्र भी कहा गया है, जिसका अर्थ है स्वयं पर 'नियंत्रण' और स्थिरता व जमाव।

रोज़ा रखने के बाद इंसान का आत्मविश्वास और आत्मसंयम व संकल्प शक्ति (Will Power) बढ़ जाती है। इंसान जान लेता है कि जब वह खाना-पानी जैसी चीज़ों को दिनभर छोड़ सकता है, जिनके बिना जीवन संभव नहीं, तो वह बुरी बातों व आदतों को को तो बड़ी आसानी से छोड़ सकता है। जो व्यक्ति भूख बर्दाश्त कर सकता है, वह दूसरी बातें भी बर्दाश्त (सहन) कर सकता है। राज़ा इंसान में सहनशीलता के स्तर (Level of Tolerance) को बढ़ाता है।

रोज़ा इंसान में स्वार्थपरता (Selfishness) और सुस्ती को दूर करता है। रोज़ा ईश्वर की नेमतों (खाना-पानी इत्यादि) के महत्व का एहसास दिलाता है। रोज़ा इंसान को ईश्वर का शुक्रगुज़ार बंदा बनाता है। रोज़े के द्वारा इंसान को भूख-प्यास की तकलीफ़ का अनुभव कराया जाता है, ताकि वह भूखों की भूख और प्यासों की प्यास में उनका हमदर्द बन सके। रोज़ा इंसान में त्याग के स्तर (Level of Sacrifice) को बढ़ाता है।

इस तरह हम समझ सकते हैं कि रोज़ा ईश्वर का मार्गदर्शन मिलने पर उसकी बड़ाई प्रकट करने, उसका शुक्र अदा करने और परहेज़गार बनने के अतिरिक्त, न केवल इंसान के दिमाग़ बल्कि उसके शरीर पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। ■■

घमंड का पुतला

कहानी



मुंशी प्रेमचंद

शाम हो गयी थी। मैं सरयू नदी के किनारे अपने कैम्प में बैठा हुआ नदी के मज़े ले रहा था कि मेरे फ़ुटबॉल ने दबे पांव पास आकर मुझे सलाम किया कि जैसे वह मुझ से कुछ कहना चाहता है।

फ़ुटबॉल के नाम से जिस प्राणी का ज़िक्र किया गया वह मेरा अर्दली था। उसे सिर्फ़ एक नज़र देखने से यक़ीन हो जाता था कि यह नाम उसके लिए पूरी तरह उचित है। वह सिर से पैर तक आदमी की शकल में एक गेंद था। लम्बाई-चौड़ाई बराबर। उसका भारी-भरकम पेट, जिसने उस दायरे के बनाने में ख़ास हिस्सा लिया था, एक लम्बे कमरबन्द में लिपटा रहता था, शायद इसलिए कि वह इन्तिहा से आगे न बढ़ जाए। जिस वक़्त वह तेज़ी से चलता था, बल्कि यूं कहिए लुढ़कता था तो साफ़ मालूम होता था कि कोई फ़ुटबॉल ठोकर खाकर लुढ़कता चला आता है। मैंने उसकी तरफ़ देखकर पूछा- क्या कहते हो?

इस पर फ़ुटबॉल ने ऐसी रोनी सूरत बनायी कि जैसे कहीं से पिटकर आया है और बोला-हुज़ूर, अभी तक यहां रसद का कोई इन्तिज़ाम नहीं हुआ। ज़मींदार साहब कहते हैं कि मैं किसी का नौकर नहीं हूं।

मैंने इस निगाह से देखा कि जैसे मैं और ज़्यादा नहीं सुनना चाहता। यह असम्भव था कि मजिस्ट्रेट की शान में ज़मींदार से ऐसी गुस्ताख़ी होती। यह मेरे हाकिमाना ग़ुस्से को भड़काने की एक बदतमीज़ कोशिश थी। मैंने पूछा, ज़मीदार कौन है?

फ़ुटबॉल की बांछें खिल गयीं, बोला-क्या कहूं, कुंअर सज्जन सिंह। हुज़ूर, बड़ा ढीठ आदमी है। रात आयी है और अभी तक हुज़ूर के सलाम को भी नहीं आया। घोड़ों के सामने न घास है न दाना। लश्कर के सब आदमी भूखे बैठे हुए हैं। मिट्टी का एक बर्तन भी नहीं भेजा।

मुझे ज़मींदारों से रात-दिन साबक़ा रहता था, मगर यह शिकायत कभी सुनने में नहीं आयी थी। इसके विपरीत वह मेरी ख़ातिर-तवाजों में ऐसी जॉफ़िशानी से काम लेते थे जो उनके स्वाभिमान के लिए ठीक न थी। उसमें दिल खोलकर आतिथ्य-सत्कार करने का भाव तनिक भी न होता था। न उसमें शिष्टाचार था, न वैभव का प्रदर्शन जो ऐब है। इसके बजाय वहां बेजा रसूख़ की फ़िक्र और स्वार्थ की हवस साफ़ दिखायी देती थी और इस रसूख़ बनाने की क़ीमत काव्योचित अतिशयोक्ति के साथ ग़रीबों से वसूल की जाती थी, जिनका बेकसी के सिवा और कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। उनके बात करने के ढंग में वह मुलामियत और आज़िज़ी बरती जाती थी जिसका स्वाभिमान से बैर है और अक्सर ऐसे मौक़े आते थे, जब इन ख़ातिरदारियों से तंग होकर दिल चाहता था कि काश इन ख़ुशामदी आदमियों की सूरत न देखनी पड़ती।

मगर आज फ़ुटबॉल की ज़बान से यह कैफ़ियत सुनकर मेरी जो हालत हुई उसने साबित कर दिया कि रोज़-रोज़ की ख़ातिरदारियों और मीठी-मीठी बातों ने मुझ पर असर किये बिना नहीं छोड़ा था। मैं यह हुक्म देने वाला ही था कि कुंअर सज्जन सिंह को हाज़िर करो कि एकाएक मुझे ख़याल आया कि इन

मुफ़्तख़ोर चपरासियों के कहने पर एक प्रतिष्ठित आदमी को अपमानित करना न्याय नहीं है। मैंने अर्दली से कहा- बनियों के पास जाओ, नक़द दाम देकर चीज़ें लाओ और याद रखो कि मेरे पास कोई शिकायत न आये।

अर्दली दिल में मुझे कोसता हुआ चला गया।

मगर मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही, जब वहां एक हफ़्ते तक रहने पर भी कुंअर साहब से मेरी भेंट न हुई। अपने आदमियों और लश्कर वालों की ज़बान से कुंअर साहब की ढिठाई, घमण्ड और हेकड़ी की कहानियां रोज़ सुना करता। और मेरे दुनिया देखे हुए पेशकार ने ऐसे अतिथि-सत्कार-शून्य गांव में पड़ाव डालने के लिए मुझे कई बार इशारों से समझाने-बुझाने की कोशिश की। ग़ालिबन मैं पहला आदमी था जिससे यह भूल हुई थी और अगर मैंने ज़िले के नक़्शे के बदले लश्कर वालों से अपने दौरे का प्रोग्राम बनाने में मदद ली होती तो शायद इस अप्रिय अनुभव की नौबत न आती। लेकिन कुछ अजब बात थी कि कुंअर साहब को बुरा-भला कहना मुझ पर उल्टा असर डालता था। यहां तक कि मुझे उस अदमी से मुलाक़ात करने की इच्छा पैदा हुई जो सर्वशक्तिमान अफ़सरों से इतना ज़्यादा अलग-थलग रह सकता है।

सुबह का वक़्त था, मैं गढ़ी में गया। नीचे सरयू नदी लहरें मार रही थी। उस पार साखू का जंगल था। मीलों तक बादामी रेत, उस पर खरबूज़ और तरबूज़ की क्यारियां थीं। पीले-पीले फूलों-से लहराती हुई बगुलों और मुर्गाबियों के गोल-के-गोल बैठे हुए थे! सूर्य देवता ने जंगलों से सिर निकाला, लहरें जगमगायीं, पानी में तारे निकले। बड़ा सुहाना, आत्मिक उल्लास देने वाला दृश्य था।

मैंने ख़बर करवायी और कुंअर साहब के दीवानख़ाने में दाख़िल हुआ लम्बा-चौड़ा कमरा था। फ़र्श बिछा हुआ था। सामने मसनद पर एक बहुत लम्बा-तड़ंगा आदमी बैठा था। सर के बाल मुड़े हुए, गले में रुद्राक्ष की माला, लाल-लाल, ऊंचा माथा-पुरुषोचित अभिमान की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। चेहरे से रोबदाब बरसता था।

कुंअर साहब ने मेरे सलाम को इस अन्दाज़ से लिया कि जैसे वह इसके आदी हैं। मसनद से उठकर उन्होंने बहुत बड़प्पन के ढंग से मेरी अगवानी की, ख़ैरियत पूछी, और इस तकलीफ़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा रिने के बाद इतर और पान से मेरी तवाजो की। तब वह मुझे अपनी उस गढ़ी की सैर कराने चले जिसने किसी ज़माने में ज़रूर आसफ़ुद्दौला को ज़िच किया होगा मगर इस वक़्त बहुत टूटी-फूटी हालत में थी। यहां के एक-एक रोड़े पर कुंअर साहब को नाज़ था। उनके ख़ानदानी बड़प्पन और रोबदाब का ज़िक्र उनकी ज़बान से सुनकर विश्वास न करना असम्भव था। बयान करने का ढंग यक़ीन को मजबूर करता था और वे उन कहानियों के सिर्फ़ पासबान ही न थे, बल्कि वह उनके ईमान का हिस्सा थीं। और जहां तक उनकी शक्ति में था, उन्होंने अपनी आन निभाने में कभी कसर नहीं की।

कुंअर सज्जन सिंह ख़ानदानी रईस थे। उनकी वंश-परंपरा यहां-वहां टूटती हुई अन्त में किसी महात्मा ऋषि से जाकर मिल जाती थी। उन्हें तपस्या और भक्ति और योग का कोई दावा न था लेकिन इसका गर्व उन्हें अवश्य था कि वे एक ऋषि की सन्तान हैं। पुरखों के जंगली कारनामे भी उनके लिए गर्व का कुछ कम कारण न थे। इतिहास में उनका कहीं ज़िक्र न हो मगर ख़ानदानी भाट ने उन्हें अमर बनाने में कोई क़सर न रखी थी और अगर शब्दों में कुछ ताक़त है तो यह गढ़ी रोहतास या कालिंजर के क़िलों से आगे बढ़ी हुई थी। कम-से-कम प्राचीनता और बर्बादी के बाह्य लक्षणों में तो उसकी मिसाल मुश्किल से मिल सकती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में चाहे उसने मुहासरों और सुरंगों को हेच समझा हो लेकिन वक़्त वह चींटियों और दीमकों के हमलों का भी सामना न कर सकती थी।

कुंअर सज्जन सिंह से मेरी भेंट बहुत संक्षिप्त थी लेकिन इस दिलचस्प आदमी ने मुझे हमेशा के लिए अपना भक्त बना लिया। बड़ा समझदार, मामले को समझने वाला, दूरदर्शी आदमी था। आख़िर मुझे उसका बिन पैसों का ग़ुलाम बनना था।

बरसात में सरयू नदी इस ज़ोर-शोर से चढ़ी कि हज़ारों गांव बरबाद हो गए, बड़े-बड़े तनावर दरख़्त तिनकों की तरह बहते चले जाते थे। चारपाइयों पर सोते हुए बच्चे-औरतें, खूंटों पर बंधे हुए गाय और बैल उसकी गरजती हुई लहरों में समा गए। खेतों में नाच चलती थी।

शहर में उड़ती हुई ख़बरें पहुंचीं। सहायता के प्रस्ताव पास हुए। सैकड़ों ने सहानुभूति और शौक़ के अरजेंट तार ज़िले के बड़े साहब की सेवा में भेजे। टाउनहाल में क़ौमी हमदर्दी की पुरशोर सदाएं उठीं और उस हंगामे में बाढ़-पीड़ितों की दर्दभरी पुकारें दब गयीं।

सरकार के कानों में फ़रियाद पहुंची। एक जांच कमीशन तैयार किया गया। ज़मींदारों को हुक्म हुआ कि वे कमीशन के सामने अपने नुक़सानों को विस्तार से बताएं और उसके सबूत दें। शिवरामपुर के महाराजा साहब को इस कमीशन का सभापति बनाया गया। ज़मींदारों में रेल-पेल शुरू हुई। नसीब जागे। नुक़सान के तख़मीन का फ़ैसला करने में काव्य-बुद्धि से काम लेना पड़ा। सुबह से शाम

तक कमीशन के सामने एक जमघट रहता। आनरेबुल महाराजा साहब को सांस लेने की फ़ुरसत न थी दलील और शहादत का काम बनाने और ख़ुशामद से लिया जाता था। महीनों यही कैफ़ियत रही। नदी किनारे के सभी ज़मींदार अपने नुक़सान की फ़रियादें पेश कर गए, अगर कमीशन से किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा तो वह कुंअर सज्जन सिंह थे। उनके सारे मौजे सरयू के किनारे पर थे और सब तबाह हो गए थे, गढ़ी की दीवारें भी उसके हमलों से न बच सकी थीं, मगर उनकी ज़बान ने ख़ुशामद करना सीखा ही न था और यहां उसके बग़ैर रसाई मुश्किल थी। चुनांचे वह कमीशन के सामने न आ सके। मियाद ख़त्म होने पर कमीशन ने रिपोर्ट पेश की, बाढ़ में डूबे हुए इलाक़ों में लगान की आम माफ़ी हो गयी। रिपोर्ट के मुताबिक़ सिर्फ़ सज्जन सिंह वह भाग्यशाली ज़मींदार थे, जिनका कोई नुक़सान नहीं हुआ था। कुंअर साहब ने रिपोर्ट सुनी, मगर माथे पर बल न आया। उनके आसामी गढ़ी के सहन में जमा थे, यह हुक्म सुना तो रोने-धोने लगे। तब कुंअर साहब उठे और बुलन्द आवाज़ में बोले-मेरे इलाक़े में भी माफ़ी है। एक कौड़ी लगान न लिया जाए। मैंने यह वाक़िया सुना और ख़ुद-ब-ख़ुद मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े बेशक यह वह आदमी है जो हुकूमत और इख़्तियार के तूफ़ान में जड़ से उखड़ जाए मगर झुकेगा नहीं।

वह दिन भी याद रहेगा जब अयोध्या में हमारे जादू-सा करने वाले कवि शंकर को राष्ट्र की ओर से बधाई देने के लिए शानदार जलसा हुआ। हमारा गौरव, हमारा जोशीला शंकर यूरोप और अमेरिका पर अपने काव्य का जादू करके वापस आया था। अपने कमालों पर घमंड करने वाले यूरोप ने उसकी पूजा की थी। उसकी भावनाओं ने ब्राउनिंग और शेली के प्रेमियों को भी अपनी वफ़ा का पाबन्द न रहने दिया। उसकी जीवन-सुधा से यूरोप के प्यासे जी उठे। सारे सभ्य संसार ने उसकी कल्पना की उड़ान के आगे सिर झुका दिये। उसने भारत को यूरोप की निगाहों

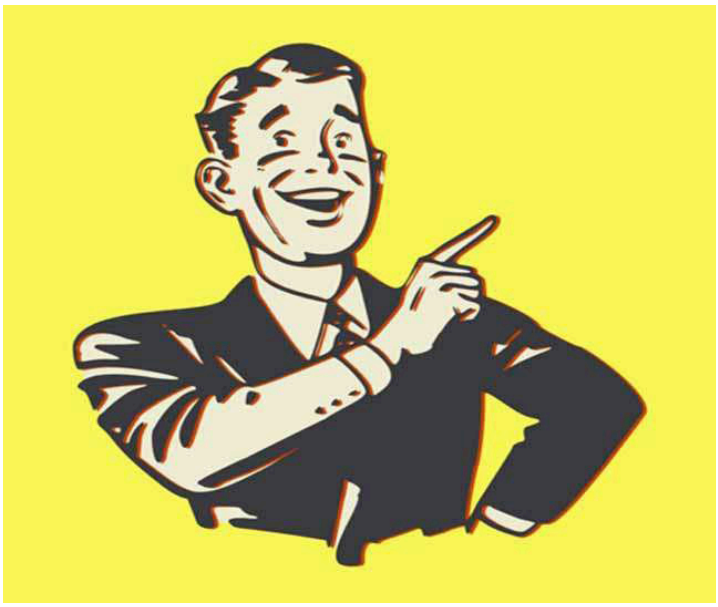

में अगर ज़्यादा नहीं तो यूनान और रोम के पहलू में बिठा दिया था।

जब तक वह यूरोप में रहा, दैनिक अख़बारों के पत्रे उसकी चर्चा से भरे रहते थे। यूनिवर्सिटियों और विद्वानों की सभाओं ने उस पर उपाधियों की मूसलाधार वर्षा कर दी। सम्मान का वह पदक जो यूरोप वालों का प्यारा सपना और ज़िन्दा आरज़ू है, वह पदक हमारे ज़िन्दादिल शंकर के सीने पर शोभा दे रहा था और उसकी वापसी के बाद उन्हीं राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए हिन्दोस्तान के दिल और दिमाग़ अयोध्या में जमा थे।

इसी अयोध्या की गोद में श्री रामचंद्र खेलते थे और यहीं उन्होंने वाल्मीकि की जादू-भरी लेखनी की प्रशंसा की थी। उसी अयोध्या में हम अपने मीठे कवि शंकर पर अपनी मुहब्बत के फूल चढ़ाने आये थे।

इस राष्ट्रीय कतैव्य में सरकारी हुक्काम भी बड़ी उदारतापूर्वक हमारे साथ सम्मिलित थे। शंकर ने शिमला और दार्जिलिंग के फ़रिश्तों को भी अयोध्या में खींच लिया था। अयोध्या को बहुत इन्तिज़ार के बाद यह दिन देखना नसीब हुआ।

जिस वक़्त शंकर ने उस विराट पण्डाल में पैर रखा, हमारे हृदय राष्ट्रीय गौरव और नशे से मतवाले हो गये। ऐसा महसूस होता था कि हम उस वक़्त किसी अधिक पवित्र, अधिक प्रकाशवान दुनिया के बसने वाले हैं। एक क्षण के लिए-अफ़सोस है कि सिर्फ़ एक क्षण के लिए-अपनी गिरावट और बर्बादी का ख़याल हमारे दिलों से दूर हो गया। जय-जय की आवाज़ों ने हमें इस तरह मस्त कर दिया जैसे महुअर नाग को मस्त कर देता है।

एड्रेस पढ़ने का गौरव मुझको प्राप्त हुआ था। सारे पण्डाल में ख़ामोशी छायी हुई थी। जिस वक़्त मेरी ज़बान से यह शब्द निकले-ऐ राष्ट्र के नेता! ऐ हमारे आत्मिक गुरु! हम सच्ची मुहब्बत से तुम्हें बधाई देते हैं और सच्ची श्रद्धा से तुम्हारे पैरों पर सिर झुकाते हैं...यकायक मेरी निगाह उठी और मैंने एक हृष्ट-पुष्ट हैकल आदमी को ताल्लुकेदारों की क़तार से उठकर बाहर जाते देखा। यह कुंअर सज्जन सिंह थे।

मुझे कुंअर साहब की यह बेमौक़ा हरकत, जिसे अशिष्टता समझने में कोई बाधा नहीं है, बुरी मालूम हुई। हज़ारों आंखें उनकी तरफ़ हैरत से उठीं।

जलसे के ख़त्म होते ही मैंने पहला काम जो किया वह कुंअर साहब से इस चीज़ के बारे में जवाब तलब करना था।

मैंने पूछा-क्यों साहब आपके पास इस बेमौक़ा हरकत का क्या जवाब है?

सज्जन सिंह ने गंभीरता से जवाब दिया-आप सुनना चाहें तो जवाब हूं।

''शौक से फ़रमाइये।''

''अच्छा तो सुनिये। मैं शंकर की कविता का प्रेमी हूं। शंकर की इज़्ज़त करता हूं, शंकर पर गर्व करता हूं, शंकर को अपने और अपनी क़ौम के ऊपर एहसान करने वाला समझता हूं मगर उसके साथ ही उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानने या उनके चरणों में सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूं।''

मैं आश्चर्य से उसका मुंह ताकता रह गया। यह आदमी नहीं, घमण्ड का पुतला हैं देखें यह सिर कभी झुकता या नहीं।

पूरनमासी का पूरा चांद सरयू के सुनहरे फ़र्श पर नाचता था और लहरें ख़ुशी से गलु मिल-मिलकर गाती थीं। फागुन का महीना था, पेड़ों में कोपलें निकली थीं और कोयल कूकने लगी थी।

मैं अपना दौरा करके सदर लौटता था। रास्ते में कुंअर सज्जन सिंह से मिलने का चाव मुझे उनके घर तक ले गया, जहां अब मैं बड़ी बेतकल्लुफ़ी से जाता-आता था।

मैं शाम के वक़्त नदी की सैर को चला। वह प्राणदायिनी हवा, वह उड़ती हुई लहरें, वह गहरी निस्तबधता-सारा दृश्य एक आकर्षक सुहाना सपना था। चांद के चमकते हुए गीत से जिस तरह लहरें झूम रही थीं, उसी तरह मीठी चिन्ताओं से दिल उमड़ा आता था।

मुझे ऊंचे कगार पर एक पेड़ के नीचे कुछ रोशनी दिखायी दी। मैं ऊपर चढ़ा। वहां बरगद की घनी छाया में धूनी जल रही थी। उसके सामने एक साधू पैर फैलाये बरगद की एक मोटी जटा के सहारे लेटे हुए थे। उनका चमकता हुआ चेहरा आग की चमक को लजाता था। नीले तालाब में कमल खिला हुआ था।

उनके पैरों के पास एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ़ थी। वह उस साधू के पैरों पर अपना सिर रखे हुए था। पैरों को चूमता था और आंखों से लगता था। साधू अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखे हुए थे कि जैसे वासना धैर्य और संतोष के आंचल में आश्रय ढूंढ़ रही हो। भोला लड़का मां-बाप की गोद में आ बैठा था।

एकाएक वह झुका हुआ सर उठा और मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी। मुझे सकता-सा हो गया। यह कुंअर सज्जन सिंह थे। वह सर जो झुकना न जानता था, इस वक़्त जमीन छू रहा था।

वह माथा जो एक ऊंचे मंसबदार के सामने न झुका, जो एक प्रतानी वैभवशाली महाराज के सामने न झुका, जो एक बड़े देशप्रेमी कवि और दार्शनिक के सामने न झूका, इस वक़्त एक साधु के क़दमों पर गिरा हुआ था। घमण्ड, वैराग्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था।

मेरे दिल में इस दृश्य से भक्ति का एक आवेग पैदा हुआ। आंखों के सामने से एक परदा-सा हटा और कुंअर सज्जन सिंह का आत्मिक स्तर दिखायी दिया। मैं कुंअर साहब की तरफ़ से लिपट गया और बोला-मेरे दोस्त, मैं आज तक तुम्हारी आत्मा के बड़प्पन से बिल्कुल बेख़बर था। आज तुमने मेरे हृदय पर उसको अंकित कर दिया कि वैभव और प्रताप, कमाल और शोहरत यह सब घटिया चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं। वासनाओं में लिपटे हुए लोग इस योग्य नहीं कि हम उनके सामने भक्ति से सिर झुकायें, वैराग्य और परमात्मा से दिल लगाना ही वे महान गुण हैं जिनकी ड्यौढ़ी पर बड़े-बड़े वैभवशाली और प्रतापी लोगों के सिर भी झुक जाते हैं। यही वो ताक़त है जो वैभव और प्रताप को, घमण्ड की शराब के मतवालों को और जड़ाऊ मुकुट को अपने पैरों पर गिरा सकती है। ऐ तपस्या के एकान्त में बैठने वाली आत्माओं! तुम धन्य हो कि घमण्ड के पुतले भी पैरों की धूल को माथे पर चढ़ाते हैं।

कुंअर सज्जन सिंह ने मुझे छाती से लगाकर कहा-मिस्टर वागले, आज आपने मुझे सच्चे गर्व का रूप दिखा दिया और मैं कह सकता हूं कि सच्चा गर्व सच्ची प्रार्थना से कम नहीं। विश्वास मानिये मुझे इस वक़्त ऐसा मालूम होता है कि गर्व में भी आत्मिकता को पाया जा सकता है। आज मेरे सिर में गर्व का जो नशा है, वह कभी नहीं था। ■■

कुंअर सज्जन सिंह ने मुझे छाती से लगाकर कहा— मिस्टर वागले, आज आपने मुझे सच्चे गर्व का रूप दिखा दिया और मैं कह सकता हूं कि सच्चा गर्व सच्ची प्रार्थना से कम नहीं।

क़ब्ज़ सेहत का दुश्मन

सेहत



संपादन प्रभाग

'हेल्थ इज वेल्थ' यानी स्वास्थ्य ही सम्पत्ति है और यह बात सच है। अगर इन्सान का दिमाग़ स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा तभी वह अलग-अलग सुविधाओं का प्रयोग कर पाएगा अन्यथा कोई लाभ नहीं है। मगर आज के इस प्रदूषित वातावरण में पूरी उम्र बिना किसी समस्या और हेल्दी बॉडी बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है। किसी दुश्मन की तुलना में रोग रूपी दुश्मन भी हमेशा इन्सान को घेरे ही रहती है। एक रोग ठीक हुआ नहीं कि दूसरा लग जाता है। यह दुश्मन तो अन्य सभी दुश्मनों से ज़्यादा भयंकर है और तो और हमें सबसे पहले इसी दुश्मन को ही मारना चाहिए। इन दिनों जिस तरह भागमभाग भरी ज़िंदगी हो गई है, उसमें पाचनतंत्र की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान दिखाई देते हैं। अब तो कम उम्र में भी यह समस्या गंभीर रूप में प्रकट होने लगी है। दरअस्ल, व्यस्त ज़िंदगी, तनाव और अनियमित खानपान का हमारे पाचन तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके चलते लोगों को पाचन तंत्र से जुड़ी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहा है।

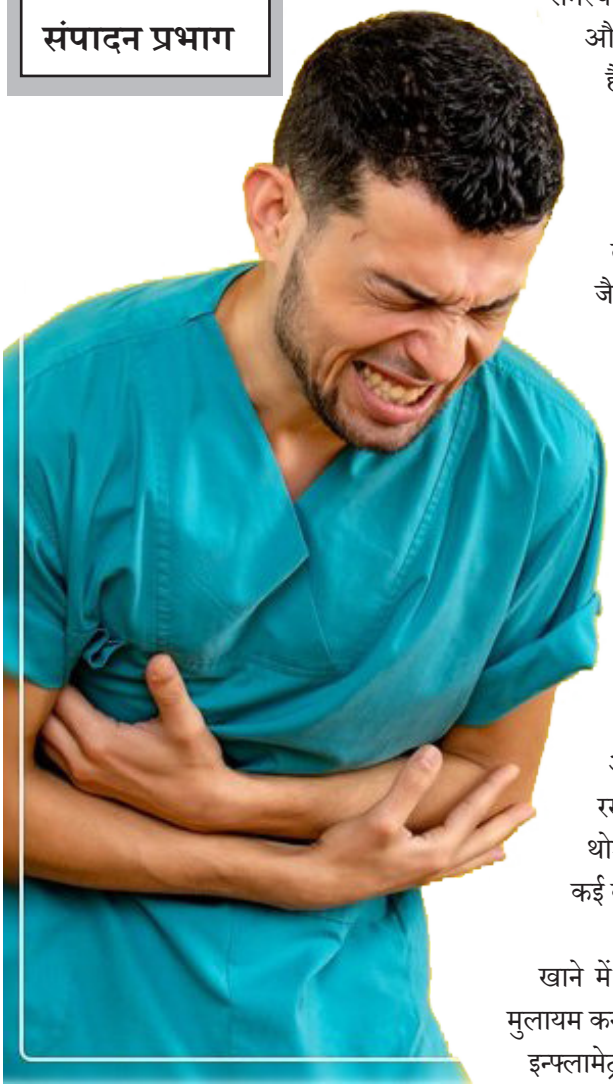

जैसे कि गैस, छाती के नीचे दर्द, अपच, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और क़ब्ज़ की समस्या। क़ब्ज़ के कारण कई बार लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याएं भी होने लगती हैं, जैसे कि बवासीर, चेहरे पर मुंहासे की दिक़्क़त, दिल की बीमारी, थकान और सिर दर्द। अगर किसी को छह महीने से अधिक क़ब्ज़ रहती है, तो उसे गंभीर स्थिति कहा जाता है। अगर आप क़ब्ज़ से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव अवश्य करना चाहिए। क़ब्ज़ की समस्या से पार पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्ख़े भी अपनाए जा सकते हैं।

पानी

आमतौर पर यह समस्या उन लोगों में देखी जाती है, जो पानी कम पीते हैं। रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही कम से कम दो गिलास गुनगुना पानी पीएं। अगर समस्या ज़्यादा है, तो एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस और शहद मिलाकर पीएं। पेट साफ़ होने लगेगा। दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। इससे पाचन तंत्र में सुधार के अलावा कई बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी।

लहसुन

खाने में लहसुन का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यह मल को मुलायम कर आंतों से आसानी से बाहर करने की क्षमता रखता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेट्री के गुण पाए जाते हैं, जो पेट के सूजन को कम करता है। लहसुन



को रोज़ाना भोजन में भी शामिल करना चाहिए। चाहें तो रोज़ाना लहसुन की एक-दो कलियां खा सकते हैं, इससे आंतें स्वस्थ रहेंगी।

मेथी

क़ब्ज़ में मेथी का सेवन लाभकारी साबित होता है। रोज़ाना सोने से पहले एक चम्मच मेथी का चूर्ण गुनगुने पानी से लें। सुबह आसानी से पेट साफ़ होने लगेगा। इसके अलावा आपको रोज़ाना दही का भी सेवन करना है। जो आपके पेट में लाभदायक बैक्टीरिया की कमी को पूरा करता है। पेट को साफ़ रखने के लिए लाभदायक बैक्टीरिया दही में होते हैं। दही खाने से पहले एक बात ध्यान रखें कि दही ताज़ा हो, कई दिन पुराना दही न खाएं और इसे रात में खाने से बचें। इससे गैस, क़ब्ज़ और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।

दिनचर्या में बदलाव

क़ब्ज़ की समस्या से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपनी रोज़मर्रा को ठीक करें और इनमें आहार और व्यायाम से जुड़ी स्वस्थ आदतों को शामिल करें। समय पर सोएं और सुबह समय पर जागें। तनाव न लें और ख़ुश रहने की कोशिश करें।

सैर करें

अगर आप सुबह आलसी बने रहते हैं तो यह स्थिति और अधिक ख़राब हो सकती है। हमारी आंतें अच्छे से सक्रिय रहें, इसके लिए उनका अच्छे से ऑक्सीजन कृत होना ज़रूरी है। आपका हर रोज़ सक्रिय रहना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए रोज़ाना आधे घंटे तक सैर करें। हर भोजन के बाद भी आपको थोड़ी-बहुत सैर करनी चाहिए।

रेशेदार भोजन

अगर आप चाहते हैं कि आपकी क़ब्ज़ जल्द ठीक हो जाए तो आपको अपने खाने में अधिक से अधिक फाइबर युक्त यानी रेशेदार चीज़ें शामिल करनी होंगी। हर रोज़ पच्चीस से तीस ग्राम फाइबर अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप हरी, पत्तेदार सब्ज़ियां, चोकरयुक्त रोटी और फल आदि खा सकते हैं।

दबाव बिंदु

हमारे शरीर के बहुत से बिंदु हमारी आंतों से जुड़े होते हैं। अगर उन पर दबाव डाला जाए तो आपको क़ब्ज़ में बहुत राहत मिल सकती है। इसके लिए आपको अपने अंगूठे और तर्जनी के कोने पर पांच से दस सेकेंड के लिए दबाना चाहिए। अपने चेहरे पर भी आप अपनी उंगुलियों से मालिश कर सकते हैं। अगर आपको हृदय रोग या किसी प्रकार का संक्रमण है, तो इसे बिल्कुल न करें।

व्यायाम करें

व्यायाम करने से पेट की आंतरिक संरचना सक्रिय होती है। हर रोज़ कम से कम पंद्रह मिनट व्यायाम करना चाहिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यायाम कर सकते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करने से शरीर तो स्वस्थ होता ही है, क़ब्ज़ से भी राहत मिलती है।

जांच

अगर आप बहुत लंबे समय से क़ब्ज़ से परेशान हैं, तो आपको एक बार ओस्टियोपैथ से चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आपकी रीढ़ और आपके पाचन तंत्र की सेहत एक-दूसरे से जुड़ी होती है, इसलिए ओस्टियोपैथ से जांच करवाना बेहतर होता है।

■■



मशरूम

खेती से करियर को दें नई दिशा



करियर



संपादन प्रभाग

दुनिया भर में मशरूम का इस्तेमाल खाने और दवाइयों में किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मशरूम एक बहुत ही हेल्दी और नुट्रिशयस फूड आइटम (खाद्य पदार्थ) है। मशरूम में फैट का लेवल बहुत कम होता है और इसका सेवन करने से हार्ट भी हेल्दी रहता है। कुछ टाइम पहले तक मशरूम का सेवन कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन ग्लोबलाइज़ेशन और बढ़ते कंज़ूमेरिज़्म के कारण आज मशरूम का सेवन हर जगह किया जाता है। देखते ही देखते मशरूम ने बहुत ही तेज़ी से कुकिंग बुक्स और किचन में अपनी जगह बना ली है, जिस वजह से मशरूम की खेती यानी की मशरूम फार्मिंग बिजनेस करने के अवसर बढ़ गए हैं।

कैसे करें शुरुआत?

गांव से लेकर शहरों में भी अब मशरूम काफ़ी मशहूर हो रहा है। इसे उगाने के लिए मिट्टी या खेत-खलिहान की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक चारदीवारी में 5,000 रुपये की लागत से इसका फार्म बना सकते हैं। वैसे तो आधुनिक तकनीकों की मदद से साल भर मशरूम की खेती कर सकते हैं, लेकिन कम लागत में इसका ज़बरदस्त उत्पादन पाने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त रहता है।

इसकी खेती के लिए मिट्टी के बजाय कंपोस्ट, गेहूं-धान का भूसा और कुछ रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी को पॉलीबैग में भरकर मशरूम स्पॉन यानी बीज डालते हैं और कुछ दी दिनों में मशरूम की फ़सल तैयार हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार सीडिंग करके कई बार मशरूम का उत्पादन ले सकते हैं और पारंपरिक खेती के मुक़ाबले 10 गुना अधिक मुनाफ़ा मिलने लगता है।

यहां से मिलेगी ट्रेनिंग

बड़े स्तर पर मशरूम की खेती करने के लिए सही ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। आज के समय में कई निजी कंपनियां, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक़, मशरूम फार्मिंग की ट्रेनिंग लेकर सही तरह से मशरूम की खेती की जाए तो 10 किलोग्राम तक मशरूम का प्रोडक्शन ले सकते हैं। ये बाज़ार में 200 से 250 रुपये

किलो तक बिकता है।

इसकी खेती करने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग केंद्र भी जैसे-राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केन्द्र शिमला, इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अलावा अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहां से आप प्रशिक्षण लेकर मशरूम की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। मशरूम उत्पादन को सरकार काफ़ी बढ़ावा दे रही है। यदि आप व्यावसायिक या रोज़गार की दृष्टि से मशरूम की खेती करना चाहते हैं, तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 40-50 प्रतिशत तक सब्सीडी दी जाती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप ज़िले स्थित कृषि विज्ञान केंद्र या नज़दीकी पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पर आपको मशीनीकरण, सरकारी योजना और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर भी कई महत्वपूर्ण ब्लॉग्स मिलेंगे, जिनको पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं।

आवश्यक संसाधन

लगभग एक वर्ग मीटर माइसीलियम में आप 30 किलो मशरूम उगा सकते हैं। संक्षेप में, 560 वर्ग मीटर वाले एक कमरे में लगभग 17 टन मशरूम उगाए जा सकते हैं। कम ख़र्च में बेहतर कमाई के लिए मशरूम की खेती एक अच्छा विकल्प है। इसके लिए बड़े खेत की ज़रूरत नहीं होती है।



एक कमरा में भी इसकी खेती की जा सकती है। ये उन किसानों के लिए और भी ज़्यादा किफ़ायती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ख़र्च से तीन गुना कमाई होती है। एक साल में अगर आप सुबह-शाम 1 घंटे भी देंगे तो अच्छा मुनाफ़ा होगा। यह मशरूम 2.5 से 3 महीने में तैयार हो जाते हैं। मशरूम की खेती में न ज़्यादा ख़र्च है न ही इसमें आपको बड़ी ज़मीन की ज़रूरत होती है।

आवश्यक सावधानियां

• मशरूम की खेती को बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें ज़्यादा कॉम्पटिशन नहीं है।

• मशरूम की खेती के लिए सबसे ज़रूरी तापमान होता है। इसे 15-22 डिग्री सेंटीग्रेट के बीच उगाया जाता है। ज़्यादा तापमान होने पर फ़सल ख़राब होने का ख़तरा होता है।

• खेती के लिए नमी 80-90 फ़ीसदी होनी चाहिए।

• अच्छा मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट खाद का भी अच्छा होना ज़रूरी है।

• खेती के लिए ज़्यादा पुराने बीज न लें, इसका असर उत्पादन पर होता है।

• ताज़ा मशरूम की क़ीमत ज़्यादा होती है। इसलिए तैयार होते ही इसे बेचने ले जाएं।





आमदनी

आजकल, मशरूम की खेती भारत में सबसे अधिक उत्पादक और लाभदायक व्यवसाय है। यह भारत में धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि कम समय में यह मेहनत को लाभ में बदल देता है। भारत में किसान धन के वैकल्पिक स्रोत के रूप में मशरूम की खेती का उपयोग करते हैं। उन्नत तकनीक के साथ, इसकी विकास दर पूरी दुनिया में लगभग 12 प्रतिशत है। अगर आप इसे 100 वर्ग फ़ुट के क्षेत्र में उगाना शुरू करते हैं तो आप प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक का लाभ कमा सकते हैं।

मशरूम की उच्च गुणवत्ता वाली व्यावसायिक खेती एक अच्छा करियर विकल्प है। दुनिया भर के अधिकांश देशों में इसकी अच्छी घरेलू मांग है। आप अपने उत्पाद को खुदरा विक्रेता और सब्ज़ी की दुकानों पर उपलब्ध कराकर स्थानीय बाज़ार में प्रवेश के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा, आप एक निर्यात विकल्प के लिए जा सकते हैं। निर्यात बाज़ार मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, रूस, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, यूके और अन्य देशों में भी हैं। ■■

खोई हुई मीरास की तलाश

आख़िरी पन्ना



मौलाना वहीदुद्दीन ख़ां

ईश्वर यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से दिखायी नहीं पड़ता, परन्तु वह मानव के इतना समीप है कि जब भी व्यक्ति उसको पुकारता है, तो वह उसकी पुकार को सुनता है और उसको जवाब देता है। ईश्वर के प्रति व्यक्ति का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वह किसी भी प्रकार से किसी दूसरे को ईश्वर का भागीदार या उसके समान ठहराये। कोई प्राणी ऐसा नहीं है, जिसको ईश्वर तथा उसके बन्दों के बीच मध्यस्थता का स्थान प्राप्त हो। व्यक्ति जब भी ईश्वर को याद करता है तो वह सीधा ईश्वर से सम्बद्ध हो जाता है। जिस प्रकार व्यक्ति को अपने जन्मदाता एवं पालनहार से जुड़ने के लिये किसी दूसरे माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार ईश्वरीय न्यायालय में किसी व्यक्ति का कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं बन सकता। ईश्वर अपने प्रत्येक बन्दे का निर्णय स्वयं अपने ज्ञान के आधार पर करेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके निर्णय को प्रभावित कर सके। ईश्वर का निर्णय किसी के अधीन नहीं है। ईश्वर के सारे निर्णय ज्ञान एवं तत्वदर्शिता के आधार पर होते हैं न कि सन्तुति या सामीप्य के आधार पर। ईश्वर की उपासना कोई व्यावहारिक परिशिष्ट नहीं है। यह सम्पूर्ण जीवन सहित ईश्वर के प्रति समर्पण है। ईश्वर के उपासना करने वाला वही है, जो ईश्वर का उपासक, इस प्रकार बने कि ईश्वर ही उसका सब कुछ हो जाए। वह उसी की उपासना करें, उसी से डरे, उसी से प्रेम करे, उसी से आशा रखे और उसी को अपने ध्यान एवं गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बना ले। ईश्वर की उपासना, ईश्वर के समक्ष पूर्णतः समर्पित होने का नाम है, न कि मात्र पारंपरिक पूजा-पाठ का। लोगों के मध्य रहते हुए व्यक्ति को प्रत्येक समय यह याद रखना चाहिये कि ईश्वर उसको देख रहा है और अपने ज्ञान के आधार पर

जो जीवन स्व मार्गदर्शन से बनेगा, वह एक निरंकुश तथा स्वच्छन्द जीवन होता है। उसमें व्यक्ति को इससे बहस नहीं होती कि वास्तविकता क्या है? वह अपनी सोच के अनुसार अपनी पसन्द की आस्था बना लेता है। उसके रात व दिन स्वयं अपनी बुद्धि एवं इन्द्रियों के मार्गदर्शन में व्यतीत होते हैं। उसकी समस्त गतिविधियां सांसारिक एवं भौतिक सुखों के चारों ओर घूमती हैं।

उसके क्रिया-कलापों का हिसाब लेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अत्याचार, झूठ, द्वेष, घमण्ड, घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ, लूट-खसोट, बेईमानी और इस प्रकार की दूसरी नैतिक बुराइयों से अपने आपको बचाए, ताकि ईश्वर के तराज़ू में वह अपराधी न ठहरे। ईश्वर से डरने वाला लोगों के मामले में निडर नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनको ईश्वर से अपने लिये अच्छे व्यवहार की आशा नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के अच्छे व्यवहार का पात्र केवल वह है, जो ईश्वर के यहां इस प्रकार पहुंचे कि उसने ईश्वर के बन्दों के साथ अच्छा बर्ताव किया हो।

ईश्वरीय धर्म मात्र एक धर्म है। सभी ईशदूतों के माध्यम से एक ही धर्म भेजा जाता रहा है, परन्तु मानव ने अपनी असावधानी के कारण या तो उसे समाप्त कर दिया या उसमें परिवर्तन कर दिया। अंतिम ईशदूत मुहम्मद (सल्ल.) के माध्यम से उसी ईश्वरीय धर्म को पुनर्जीवित किया गया और उन्हीं सिद्धान्तों को मूलतः प्रस्तुत करके सदैव के लिए पुस्तकीय रूप में सुरक्षित कर दिया गया। अब समस्त मानवजाति के लिए प्रलय तक यही प्रमाणित धर्म है। ईश्वर का सामीप्य और मुक्ति प्राप्त करने का इसके अतिरिक्त अन्य और कोई साधन नहीं है। मुहम्मद (सल्ल.) ने बताया कि ईश्वर एक है और किसी भी प्रकार से उसका कोई भागीदार नहीं है। उसी ने सृष्टि को जन्म दिया और उसको ही समस्त शक्तियां प्राप्त हैं। मानव को चाहिए कि केवल उसी के आगे झुके और उसी की उपासना करे। उसी से मांगे और उसी से आशा लगाए।

मुहम्मद (सल्ल.) ने बताया कि ईश्वर की ज़मीन में ईश्वर के बन्दों के लिए जीवन व्यतीत करने का मात्र एक ही उचित तरीक़ा है कि व्यक्ति अपने सम्पूर्ण जीवन तथा संसार के सारे मामलात

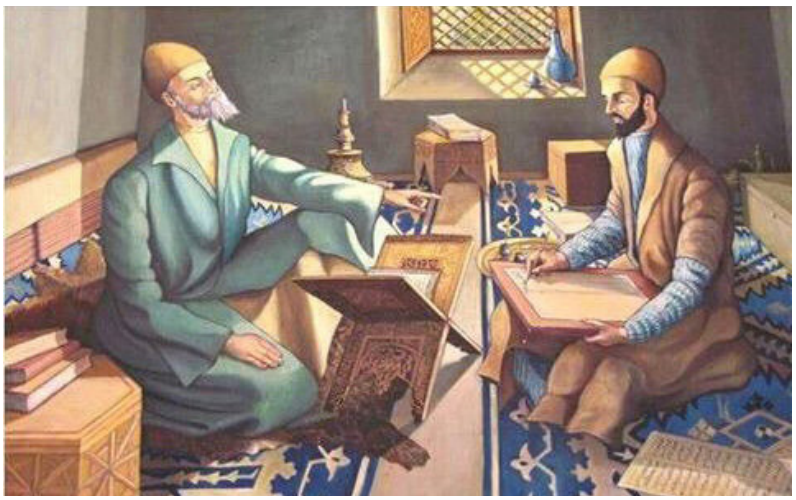

में ईश्वर की आज्ञाओं का अनुपालन करे। इस आज्ञापालन के सिद्धान्त एवं सूत्र क़ुरआन में उल्लिखित हैं और आप (सल्ल.) के जीवन में उसका व्यावहारिक आदर्श मौजूद है। अब समस्त मानवजाति के लिये ईश्वर के समीप प्रिय जीवन मात्र यह है कि वह क़ुरआन से अपने लिये मार्गदर्शन प्राप्त करे और मुहम्मद (सल्ल.) के उपदेशों के अनुसार, जीवन व्यतीत करे। मुहम्मद (सल्ल.) ने मानवजाति के लिये जो धर्म प्रस्तुत किया है वह व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन के लिये एक स्वच्छ तथा स्पष्ट दिशा-निर्देश है, प्रत्येक व्यक्ति को उसी दिशा-निर्देश के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। उसी मानचित्र के एक संक्षिप्त प्रतिरूप पांच प्रमुख स्तंभों के रूप में स्थापित किया गया है। यह पांच स्तम्भ ही सम्पूर्ण इस्लामी जीवन का आधार हैं।

पहला, कलिमा शहादत- (ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह) अर्थात् (ईश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं और मुहम्मद (सल्ल.) ईश्वर के सन्देष्टा हैं) का हृदय से स्वीकार करना। यह वाक्य एक प्रकार की घोषणा है, जो यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति ने एक क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। वह ग़ैर-इस्लाम को त्याग कर इस्लाम के आंचल में आ गया। दूसरी चीज़ नमाज़ है, यानी पैग़म्बर के बताए हुए तरीक़ों के अनुसार प्रत्येक दिन पांच समय ईश्वर की उपासना करना। तीसरी चीज़ रोज़ा है, अर्थात् प्रतिवर्ष

रमज़ान के महीने में पूरे एक महीने तक सहनशीलता का वह अभ्यास करना जिसको रोज़ा कहा गया है। चौथी चीज़ ज़कात है, यानी व्यक्ति अपने माल में से प्रतिवर्ष ईश्वर की बताई हुई मदों में ख़र्च करे। पांचवीं चीज़ हज है, यानी सामर्थ्य के अनुसार जीवन में कम से कम एक बार बैतुल्लाह (ईश्वर का घर) का हज करना। व्यक्ति जब ये पांच अनुबन्धों को पूरा करता है तो वह पैग़म्बर की स्थापित की हुई इस्लामी बिरादरी में शामिल हो जाता है।

जीवन दो प्रकार के होते हैं। एक जीवन वह है, जो परलोक के आधार पर बनता है। दूसरा जीवन वह है, जो संसार के आधार पर बनता है। परलोक के आधार पर बनने वाले जीवन में मार्गदर्शक का स्थान पैग़म्बर को प्राप्त होता है। व्यक्ति पैग़म्बर के उपदेशों के अनुसार अपना विश्वास बनाता है और उन्हीं उपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है और इसके विपरीत वह जीवन जिसका आधार संसार होता है। उसमें व्यक्ति अपना मार्गदर्शक स्वयं होता है और अपने विवेक तथा इच्छाओं के अनुसार अपने चिन्तन एवं कर्म का ढांचा बनाता है। पहला व्यक्ति ईश्वर का भक्त होता है और दूसरा व्यक्ति स्वयं अपना। ईशदूत के मार्गदर्शन में जो जीवन बनता है, उसके अनेक भाग हैं। ईश्वर पर ईमान (विश्वास) ईशदूतों पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, ईश्वर के ग्रन्थों पर ईमान, प्रलय (क़ियामत) पर ईमान, मृत्यु के पश्चात जीवन (आख़िरत) पर ईमान, स्वर्ग-नरक पर ईमान, अल्लाह (ईश्वर) के मालिक तथा हाकिम (शासक) होने पर ईमान, इन विश्वासों के तहत जो व्यक्ति बनता है, वह ऐसा व्यक्ति होता है, जो अपने आपको ईश्वर के समक्ष समर्पित कर देता है। उसके जीवन की समस्त गतिविधियां परलोक पर आधारित हो जाती हैं। उसकी उपासना एवं बलिदान तथा उसका जीना और मरना ईश्वर और उसके पैग़म्बर के लिए हो जाता है।

लोग वास्तव में ईश्वर और ईशदूत के मानने वाले हैं, उनको अंतिम ईशदूत का धर्म अपना ही धर्म मालूम होगा। वह उसको इस प्रकार स्वीकार कर लेंगे जैसे कोई व्यक्ति अपनी खोई हुई वस्तु को दौड़कर प्राप्त कर लेता है।

जो जीवन स्व-मार्गदर्शन से बनेगा, वह एक निरंकुश तथा स्वच्छन्द जीवन होता है। उसमें व्यक्ति को इससे बहस नहीं होती कि वास्तविकता क्या है? वह अपनी सोच के अनुसार अपनी पसन्द की आस्था बना लेता है। उसके रात व दिन स्वयं अपनी बुद्धि एवं इन्द्रियों के मार्गदर्शन में व्यतीत होते हैं। उसकी समस्त गतिविधियां सांसारिक एवं भौतिक सुखों के चारों ओर घूमती हैं। वह स्वनिर्माण का कार्य अपने मनोभावों के अनुकूल करता है। ईश्वर और ईशदूत उसके जीवन के निर्माता नहीं होते। जो लोग किसी पिछले ईशदूत के नाम पर किसी धर्म को पकड़े हुये हैं, उनकी धार्मिकता या उपासना उस समय तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक वह ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) पर ईमान न लाए। मुहम्मद (सल्ल.) पर ईमान लाना मानो कि ख़ुद अपने पूर्व-धर्म को ही अधिक सही और पूर्णरूप से ग्रहण करना है। जो लोग आप (सल्ल.) पर ईमान न लाएं, वह अपने कार्यों से इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि सन्देष्टा के नाम पर अपनी जातीय परम्परा और वर्गीय पक्षपात को अपना धर्म बनाए हुए हैं।

जो लोग जातीय धर्म के उपासक हैं, वह मुहम्मद (सल्ल.) के द्वारा लाए हुए ईश्वरीय धर्म को न पाएंगे। वह अपने पक्षपात के कारण आपके द्वारा लाई हुई उस सच्चाई को न देख सकेंगे, जो ईश्वर ने अपने अंतिम ईशदूत के द्वारा उनके लिए खोली है। बल्कि जो लोग वास्तव में ईश्वर और ईशदूत के मानने वाले हैं, उनको अंतिम ईशदूत का धर्म अपना ही धर्म मालूम होगा। वह उसको इस प्रकार स्वीकार कर लेंगे जैसे कोई व्यक्ति अपनी खोई हुई वस्तु को दौड़कर प्राप्त कर लेता है। ■■

اللہ کے رسولؐ نے ارشاد فرمایا۔

میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں

(مؤطہ اِمام مالک:705)

With Best Compliment from

sagar

SAGAR FEEDS & FOODS PROCESSING INDUSTRIES

Plot No. L-21, Gidc Concolim Industrial Estate
Concolim-403703 GOA
Email: sagarffpi@gmail.com

KANTI Monthly, New Delhi
MARCH 2023
Posted on 20-21 February 2023
Published on 18 February 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52